छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

पंचम विधान सभा **षोडश सत्र**

सोमवार, दिनांक 06 मार्च, 2023

(फाल्गुन 15, शक सम्वत् 1944)

[अंक 05]

Web copy

छत्तीसगढ़ विधान सभा

सोमवार, दिनांक 06 मार्च, 2023

(फाल्गुन 15, शक संवत् 1944)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत् हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरण दास महंत) पीठासीन हुए)

<u>तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर</u>

अध्यक्ष महोदय :- केशव प्रसाद चंद्रा जी।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको होली की बहुत-बहुत बधाई हो।

अध्यक्ष महोदय :- होली की बधाई 03 बजे से देंगे।

श्री अजय चंद्राकर :- आज आपकी तरफ से होली की बधाई आ जाए। इसके बाद हम सब कहां मिलेंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- ऐसा सुनने में आया है कि आज तो कई जगहों पर होली जलेगी।

श्री अजय चंद्राकर :- सत्र समाप्त हो जाएगा न।

अध्यक्ष महोदय :- चंद्राकर जी, आपको होली की बधाइयां देने के लिए आज 03 बजे सादर आमंत्रित किया गया है। क्या केशव प्रसाद चंद्रा जी नहीं आये हैं ?

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष जी, उनके यहां हाथियों का उत्पात बढ़ गया है।

प्रश्न संख्या 01 : XX XX

अध्यक्ष महोदय :- अनिया योगेन्द्र शर्मा जी।

<u>रायपुर जिले में क्रेशर खदानों को विस्फोटक उपयोग हेतु प्रदत्त लायसेंस ।</u>

[गृह]

2. (*क्र. 347) श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** रायपुर जिला अंतर्गत संचालित क्रेशर खदानों में कौन-कौन से क्रेशर खदानों को विस्फोटक उपयोग किये जाने हेतु लायसेंस दिया गया है, तहसीलवार, खदानवार जानकारी देवें? **(ख)** क्या उक्त क्रेशर खदानों में हो रहे विस्फोटों से आम जन-जीवन प्रभावित होने के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गयी है?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : **(क)** जिला रायपुर अन्तर्गत संचालित क्रेशर खदानों को विस्फोटक उपयोग किये जाने हेतु लायसेंस नहीं दिया गया है। शेषांश उपस्थित नहीं होता है। **(ख)** जी हां। प्राप्त शिकायतें एवं उन पर कृत कार्यवाही की जानकारी **संलग्न "प्रपत्र"** [1] अनुसार है।

श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के द्वारा मेरे पहले प्रश्न का जवाब तो आ चुका है लेकिन मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को यह बताना चाहती हूं कि मेरे क्षेत्र में मां लक्ष्मी स्टोन क्रेशर (मुरा), कपिल माइनिंग स्टोन क्रेशर, तिरूपति स्टोन क्रेशर, आर्सन स्टोन क्रेशर (धनसुली), विश्व भारती स्टोन क्रेशर (दोंदे) की पंचायत के द्वारा शिकायत आई थी, जिस पर मेरे खुद के द्वारा शिकायत की गई है और आज दिनांक तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। विभाग के द्वारा इसमें गलत जानकारी दी गई है। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि इसकी फिर से जांच कराकर इनके ऊपर कार्रवाई की जाए।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी।

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी मुझे यह बता दे कि उन्होंने इसकी शिकायत कहां की है ? निश्चित तौर पर उसकी जांच करा ली जाएगी।

श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायत के द्वारा माइनिंग ऑफिस में शिकायत की गई थी। मैं आपको कल उसकी कॉपी उपलब्ध करा दूंगी। इसमें ग्राम पंचायत के सरपंच व जनपद पंचायत के सदस्य के द्वारा शिकायत की गई थी। जिसमें मेरी भी अनुशंसा है।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मूलत: यह माइनिंग विभाग का प्रश्न है जो हमारे यहां आ गया है।

अध्यक्ष महोदय :- यह माइनिंग डिपार्टमेंट का कार्य है और आप गृहमंत्री हैं। जी।

श्री ताम्रध्वज साहू :- हमें माइनिंग विभाग से जो जानकारी मिली थी, उसके अनुसार उसकी 4 शिकायतें की गई थी, उनका निराकरण हो गया है। यदि माननीय सदस्य जी ने शिकायत उसकी की है तो मुझे उसकी जानकारी दे देवें। मैं उसको विभाग को भेजवा दूंगा और निश्चित तौर पर उसकी जांच हो जाएगी।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय नारायण चंदेल जी।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विधायक महोदया जी ने पूरी जिम्मेदारी से यह कहा है कि गलत जानकारी दी गई है। उसमें तो नियतम: कार्रवाई की घोषणा होनी चाहिए। जब माननीय विधायक महोदया बोल रही हैं कि गलत जानकारी दी गई है तो मंत्री जी क्या जानकारी लेंगे और क्या जानकारी देंगे ? विधायक महोदया सत्तारूढ़ दल की विधायक हैं।

---

[1] परिशिष्ट "दो"

अध्यक्ष महोदय :- उन्होंने माइनिंग विभाग के लिए कहा है कि माइनिंग विभाग ने उनको गलत जानकारी दी है, उन्होंने गृहमंत्री जी के लिए नहीं कहा है।

<u>जांजगीर चांपा जिला अंतर्गत नगरीय निकायों द्वारा स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास</u>

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

3. (*क्र. 258) श्री नारायण चंदेल : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जांजगीर-चाम्पा जिला अंतर्गत वर्ष 2020 से मार्च, 2023 तक प्रधानमंत्री आवास हेतु कितने आवासों का लक्ष्य नगरीय निकायों को मिला था ? वर्षवार/निकायवार जानकारी उपलब्ध करावें। **(ख)** कंडिका 'क' के स्वीकृत आवासों हेतु कितने कितने आवेदन प्राप्त हुए ? कितने को आवास दिया गया ? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें। **(ग)** ऐसे कितने हितग्राही हैं, जिनकी समस्त औपचारिकताएं पूर्ण होने के बाद भी आवास निर्माण प्रारंभ नहीं हो सका ? आवास निर्माण प्रारंभ नहीं होने के क्या कारण है ? वर्षवार/निकायवार जानकारी उपलब्ध करावें।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : **(क)** प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में नगरीय निकायो हेतु वर्षवार लक्ष्य निर्धारित नही किया गया है, प्रश्नांकित अवधि में स्वीकृत आवासो की वर्षवार/निकायवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-"अ"[2] अनुसार है। (ख)** योजनांतर्गत प्राप्त आवेदनो एवं स्वीकृत आवासो से संबंधित **जानकारी संलग्न प्रपत्र-"अ" अनुसार** है। **(ग)** योजनांतर्गत आवासो के अप्रारंभ निर्माण से संबंधित **जानकारी संलग्न प्रपत्र-"ब"** अनुसार है।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न नगरीय निकायों में आवास से संबंधित है। माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है और परिशिष्ट में भी उनका उत्तर है लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 31 जनवरी, 2023 तक जांजगीर-चांपा जिले के नगर-पालिका जांजगीर-नैला में प्राप्त 385 आवेदनों में से मात्र 199 आवेदन स्वीकृत करने तथा नगर-पालिका अकलतरा में 259 में से 127 स्वीकृत करने तथा शेष आवेदन निरस्त करने के क्या कारण हैं ? एक और दूसरा प्रश्न यह है कि सारे नगरीय-निकायों में कितने आवासों का लक्ष्य रखा गया था ? यह प्रश्न पूरे जांजगीर-चांप और सक्ती जिले से संबंधित है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य को पूरी जानकारी है और उन्होंने जांजगीर-चांपा जिले के जितने निकायों की जानकारी मांगी है उसकी जानकारी मैंने उनको दे दी है। दूसरा, जांजगीर-चांपा जिले में 259 आवेदन। माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं, वह सर्वे बेस्ड होता है वह लक्ष्य बेस्ड नहीं होता है। बी.एल.सी. सर्वे बेस्ड होता है लक्ष्य बेस्ड नहीं होता है तो सर्वे में जितने

[2] परिशिष्ट "तीन"

नाम आये हैं और डी.पी.आर. में जो रहते हैं, उतने नाम के आधार पर स्वीकृति की कार्रवाई की जाती है। उसी आधार पर वह स्वीकृत हुए हैं। वर्ष 2022-2023 में 31 जनवरी 2023 तक जांजगीर चांपा के असेसमेंट सर्वे के आधार पर स्वीकृत आवासों की संख्या 259 है और आपने अकलतरा का पूछा है । 259 आवास जांजगीर-चांपा का है, उसमें से 128 आवास स्वीकृत हुए हैं । इसमें से कुछ कटे हुए हैं । डी.पी.आर. में कुछ जानकारी आई थी । जांजगीर नैला के 186 और अकलतरा के 132 आवास बचे हुए हैं, इसकी स्वीकृति के लिए भारत सरकार को भेजा गया है ।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रकरण कितने दिनों से लंबित है और जो अस्वीकृत हैं, उनके क्या कारण हैं ? कोई न कोई वैधानिक कारण तो होगा न । वे गरीब आदमी है, आवास की बात है और मेरी जानकारी में इस प्रकरण को डेढ़ साल से ऊपर हो गए । आप लोगों ने कोई पत्राचार किया कि उसकी स्वीकृति कब प्राप्त होगी, अब तक उसकी स्वीकृति प्राप्त क्यों नहीं हुई है ?

श्री बृहस्पत सिंह :- नेता जी, आवास के मामले में तो आपने खूब घर घेरा, बहुत कुछ किया, उसके बाद भी नहीं हो पाया ।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक साथ पूछ लेता हूं, मंत्री जी उत्तर बता देंगे । वित्तीय वर्ष 2021-22 में नगर पालिका जांजगीर-नैला में प्राप्त आवेदनों की संख्या 326 बताई गई है, जबकि वार्ड क्रमांक 14 में ही लगभग 30 से अधिक व्यक्तियों के आवेदन आजतक लंबित हैं । मेरे पास सूची भी है, मैं अभी आपको दे सकता हूं, सदन के पटल पर रख सकता हूं । आप बता दें कि उनके आवेदनों पर अभी तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है और जो निरस्त हुए हैं, उसके क्या कारण हैं ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, डी.पी.आर. बनता है, सर्वे होता है, उसके बाद स्वीकृति की कार्यवाही के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा जाता है और हमारे यहां से भारत सरकार को प्रस्ताव गया है । जब वहां से स्वीकृति आएगी, तभी उन पर कार्य प्रारंभ होंगे । बहुत से डी.पी.आर. बने हैं, वह सन् 2018 के पहले के हैं । उसमें बहुत सारी ऐसी जगहों में डी.पी.आर. बनाया गया है, जो जमीन उसकी है ही नहीं, पक्के मकान हैं । उसमें स्वीकृति का प्रावधान ही नहीं है इसलिए इसमें स्वीकृति है, वह काटी गई है ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज के मेरे अतारांकित प्रश्न क्रमांक 1 में माननीय मंत्री जी का जवाब आया है कि 2022-23 में अकलतरा में 127 आवास स्वीकृत हुए हैं और बलौदा में 259 आवास स्वीकृत हुए हैं । स्वीकृति के विरूद्ध भुगतान 10 महीने में जीरो है । मैं यह जानना चाहता हूं कि 10 महीनों में इन हितग्राहियों को भुगतान क्यों नहीं दिया गया ? आपने जो आवास स्वीकृत किया, उसका भुगतान क्यों नहीं हुआ ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भुगतान की एक निश्चित प्रक्रिया है । जैसे जो काम प्रारंभ करता है, फाऊंडेशन लेवल तक हो जाता है, उसमें 25 प्रतिशत राशि उपलब्ध कराने का प्रावधान है । जब काम ही प्रारंभ नहीं करेंगे, बहुत सारी जगहों में काम प्रारंभ नहीं किया गया है इसलिए राशि का भुगतान नहीं है या जो लक्ष्य है, उसके लेंटर लेबल तक का काम हो गया है तो जितना काम करेंगे, उतना भुगतान होगा । मूल्यांकन, सत्यापन के बाद भुगतान होगा ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि भुगतान जीरो है, जीरो । एक हितग्राही को एक रूपया नहीं दिया गया है । किसी हितग्राही को कुछ पैसा देते तो समझ में आता, लेकिन एक हितग्राही को एक रूपया नहीं दिया गया है । आप जवाब देख लीजिए । किसी हितग्राही को एक भी रूपया नहीं दिया गया है । उनको भुगतान क्यों नहीं किया गया है ? आप अपनी कार्य की प्रगति के आधार पर पैसा दीजिए ।

श्री बृहस्पत सिंह :- आपके मोदी जी ने तो पूरा पैसा रोककर रखा हुआ था इसीलिए तो भुगतान में विलंब हुआ ।

श्री शिवरतन शर्मा :- ये क्या है ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- मैं बताऊंगा न ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक भी हितग्राही को एक भी पैसा नहीं दिया गया है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्यों नहीं दिया गया ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब काम प्रारंभ नहीं हुआ है तो पैसा कैसे देंगे ? काम प्रारंभ होगा, तभी तो पैसा देंगे ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गंभीरता से आरोप लगा रहा हूं, बलौदा नगर पालिका में 200 लोगों के प्रकरण को सी.एम.ओ. ने दो महीने से घूस का पैसा नहीं मिलने के कारण प्रकरण को रोककर रखा है । (शेम-शेम की आवाज) बलौदा नगर पालिका में 200 प्रकरण लंबित हैं और इस कार्य में एडवांश देने का प्रावधान है । माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं-जीरो । आप हितग्राही को एडवांश नहीं देंगे तो हितग्राही काम कैसे चालू करेगा ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कहां प्रावधान है, किस नियम में लिखा है एडवांश देने का प्रावधान है ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह बोल रहा हूं कि बलौदा नगर पालिका में 200 हितग्राहियों के प्रकरण आज दिनांक तक पेंडिंग हैं, आप पर्ची मंगवा लें ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 200 काम स्वीकृत हैं, काम प्रारंभ होगा, तभी तो पैसा देंगे ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वीकृत नहीं, वहां पर काम प्रारंभ हो गया है, सी.एम.ओ. ने फाइल रोककर रखा है क्योंकि सी.एम. ओ. को जो मिलना है, जो अपेक्षा है, वह नहीं मिल रहा है।

नेता प्रतिपक्ष (श्री नारायण चंदेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आवास का मामला है, गरीबों का मामला है। क्या माननीय मंत्री जी पूरे प्रकरण की जांच करायेंगे ?

श्री सौरभ सिंह :- मैं पूछना चाहूंगा, आप बलौदा का जवाब दीजिये। जीरों क्यों है, शून्य क्यों है ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो इसमें एडवांस देने का प्रावधान नहीं है। पहले तो सदस्य जी अपनी जानकारी दुरूस्त कर लें। जब कार्य प्रारंभ किया जाता है तो जियो टेगिंग कर कार्य प्रारंभ करने पर फाउण्डेशन के लेवल पर 25 प्रतिशत देने का प्रावधान है। दूसरा, हमारे माननीय सदस्य ने जो कहा कि वह मैं बता देता हूं। मैं 1 जनवरी, 2020 से 2023 तक बलौदा में स्वीकृत आवास का बता देता हूं। आप पूरा जानकारी ले लो, मैं आधा-अधूरा जानकारी नहीं दूंगा।

श्री सौरभ सिंह :- अध्यक्ष महोदय, आप इसी साल का बता दीजिये, जिसमें आप जीरो बोल रहे हैं। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप इसी साल का बता दीजिये, जिसको आप जवाब में जीरो बोल रहे है। आप जिसमें पैसा दे दिए हैं, उसको नहीं बोल रहा हूं। इस साल 11 महीने में एक रूपया भी नहीं दिया, मैं उसी को पूछ रहा हूं। मैं इसी साल का पूछ रहा हूं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- मैं आपको अभी बता देता हूं।

श्री सौरभ सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यही पूछ रहा हूं कि आपने इस साल क्यों पैसा नहीं दिया ? आपने हितग्राहियों को 11 महीने में पैसा क्यों नहीं दिया ? आप इसी साल का बता दीजिये, पुराना छोड़िये।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार का नियम है जियो टेगिंग करने के बाद काम प्रारंभ करना है। जब जियो टेगिंग हुआ ही नहीं है, काम प्रारंभ नहीं हुआ है तो पैसा कैसे देंगे।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मंत्री जी जांच करा लें। 2 सौ लोगों की फाइल रूकी हुई है। सारे प्रकरणों में जियो टेगिंग हो गई है, सारे प्रकरणों में काम चालू हो गया है। मंत्री जी जांच करवा लें। सी.एम.ओ. को क्यों बचा रहे हैं ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर काम प्रारंभ हो गया है तो उसका मूल्यांकन कर लेंगे, लेंटल लेवल पर आयेगा तो उसका पेमेन्ट कर देंगे। उसमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दो सौ लोगों की फाइल पेण्डिग है। मंत्री जी चेक करवा लें। यह छोटा मामला है, मंत्री जी तक नहीं आता है, उस मामले को नीचे में ही निपटा देते हैं। वह भी मामला आता है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, चन्द्राकर जी।

श्री अजय चन्द्राकर :- यस सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी ओर से पूछना चाहता हूं या आप मेरी ओर से पूछ दीजिये। मेरे आज मेरे एक प्रश्न में जवाब आया है कि पूरे प्रदेश में 1 लाख 29 हजार मकान स्वीकृत हुए हैं। टोटल प्रगति 24 प्रतिशत है। आप पूरे परिशिष्टि को पढ़ लीजिये 2019-2020 में स्वीकृति और आरंभ जीरो है। 2020-21 में 15 आवास निर्माण अप्रारंभ है। उसके बाद 87, उसके बाद जीरो है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने सन् 2021 से शुरू किया है, आपने अलग-अलग नगर पंचायतों में 298 आवास स्वीकृत किए , उसमें से कितने मकान शुरू हो गये हैं और कितने मकान पूर्ण हो गये हैं ? कितने मकान के प्रथम, द्वितीय या तृतीय किश्त मिल गये हैं ?

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, क्या आप जवाब देंगे ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हां, मैं बिलकुल बता देता हूं। ये पूछ रहे हैं तो एक साल का ही नहीं, मैं पूरे सालों का बता देता हूं, । माननीय अध्यक्ष महोदय, 2015-16 में यह स्कीम चालू हुई थी।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, 2015-16 का नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने परिशिष्ट के अंदर प्रश्नों के पूछा है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- पहले सुनना तो सीखो।

श्री अजय चन्द्राकर :- सन् 2015-16 की कहानी कहकर समय काटने वाला काम मत करें।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का जवाब आ रहा है, जब जवाब दे रहे हैं तो सुनो न भाई। प्रश्न पूछ रहे हो तो सुन भी लो।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- पहले सुनने का तो काम करो।

श्री सौरभ सिंह :- मंत्री जी, आप प्रश्न को टालने में सफल नहीं होने वाले हैं।

डॉ.(श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- जब से योजना चालू हुआ है, तब से सुनो। सुनने में क्या दिक्कत है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- चलिये आप लोग बैठो, प्लीज। आप लोग बैठिये भाई। बहुत कीमती समय है, आप लोग बर्बाद मत करो।

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में कमजोर हृदय वाले भी बैठते हैं। इतने जोर-जोर से बोलेंगे ?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न काल में ऐसा कभी नहीं है। यह नई परम्परा विकसित हो रही है।

श्री बृहस्पत सिंह :- अगर आपने प्रश्न पूछा है तो मंत्री जी का जवाब सुन लीजिये।

अध्यक्ष महोदय :- जवाब सुन लेंगे, आप तो बैठ जाओ। आप बैठ जाओ। प्रश्नकाल का समय लिमिट होता है भाई।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये लगातार बाधित कर रहे हैं। हमारे मंत्री जी सक्षम हैं।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी जवाब तो दे रहे हैं भाई।

श्री धरमलाल कौशिक :- वह जवाब दे रहे है, तो इनको खड़े होने की आवश्यकता नहीं है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- मैं जवाब तो दे रहा हूं, वही लोग खड़े हैं।

अध्यक्ष महोदय :- बृहस्पति सिंह जी, आप बैठिये।

श्री बृहस्पत सिंह :- आप मंत्री जी का बोलने भी नहीं देंगे।

श्री धरम लाल कौशिक :- ये लगातार बाधित कर रहे हैं। प्रश्नकाल के अलावा और बहुत सारे चर्चा के विषय ...।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस विधायक दल की बैठक में इनको ट्रेनिंग देकर भेजा गया है। ये लोग पूरे सदन को (व्यवधान) आप जरा संभालिये। मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, आप उसके बारे में क्या जानोगे ? आप मंत्री के बारे में क्या जानोगे ?

श्री बृहस्पत सिंह :- नागपुर से ट्रेनिंग लेकर नहीं आये हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप लोगों को तो फाईल देखने का भी पावर नहीं है। आप क्या जवाब दोगे। (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- नागपुर से ट्रेनिंग लेकर नहीं आये हैं साहब । नागपुर से जो ट्रेनिंग लेकर आये हैं, उसको आप बताईये । (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- (व्यवधान) आप उसका जवाब दोगे, तब ना । व्यवधान

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- ट्रेनिंग उधर हो रहा है । व्यवधान आपके यहां तो भाषण देने की भी ट्रेनिंग होती है ।

अध्यक्ष महोदय :- बैठिये, बैठिये । प्लीज ।

श्री कुलदीप सिंह जुनेजा :- हर उसमें खड़े होते हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- बैठिये अभी । चलिये, जवाब दीजिए आप ।

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकर्ता सदस्य है, मेरे उत्तर देने के पहले ही खड़ा हो जाता है । पहले मेरा उत्तर तो सुन लें, उसके बाद खड़ा होकर अपना वक्तव्य शुरू करें ।

अध्यक्ष महोदय :- उत्तर दे दीजिए ।

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2021-2022 का बता देता हूँ । जांजगीर-चांपा में, खरौद में, स्वीकृत आवासों की संख्या जो उस समय शून्य है, जांजगीर-चाम्पा में 787

है, जांजगीर-चाम्पा, शिवरीनारायण में 202 स्वीकृत आवास है, जांजगीर-चांपा के अंतर्गत खरौद में 83 स्वीकृत हैं...।

श्री अजय चन्द्राकर :- यह तो मैं पढ़ लिया हूँ ।

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- और क्या सुनना है ? जवाब आपको दे दिया हूँ ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा है, इसमें कितने पूर्ण हो चुके हैं, कितने अप्रारंभ हैं, पूर्ण हुये हैं, अधूरे हैं, उनको कितनी किश्त मिल गई है ।

अध्यक्ष महोदय :- पूर्ण, अपूर्ण की जानकारी दे दीजिए, इनको बस । पूर्ण-अपूर्ण की जानकारी दे दीजिए, कब तक पूर्ण होगा ।

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष महोदय, मैं जांजगीर-चांपा जिला में भौतिक प्रगति बता देता हूँ । आप कहां का सुनना पसंद करेंगे ।

श्री सौरभ सिंह :- बलौदा का बता दीजिए, जहां का पेमेंट नहीं हुआ है ।

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- किस निकाय का है, वह पूछ रहा हूँ । अकलतरा का बता देता हूँ ।

श्री सौरभ सिंह :- बता दीजिए, जहां का भुगतान नहीं है ।

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो स्वीकृत हुये हैं, वह कार्य प्रारंभ नहीं हुये हैं, इसीलिए तो मैं बता देता हूँ । अकलतरा का जो स्वीकृत आवास है, वह 127 है, वह कार्य अप्रारंभ है, इसलिए भुगतान नहीं हुआ ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सारे के सारे ...। (व्यवधान)

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- एक मिनट सुनिये ना, मैं बता रहा हूँ । पहले बीच में मत खड़ा हो ना, सुन लो ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले इनकी भाषा सुधारिये । हम लोग उनके [XX][3] नहीं है । (व्यवधान)

डॉ.(श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- आप भी तो वैसे ही बोलते हो । अपने आपको देखो। आप कैसे बोल रहे हो । (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- [XX] नहीं ले लिया है । व्यवधान 90 लोगों का यह सदन है । दो लोग [XX] नहीं ले रखे हैं । किसी को नहीं बोलने देने का ये चार लोग [XX] ले लिये हैं क्या ? (व्यवधान)

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सौ चूहे खाकर बिल्ली हज करने जा रही है ।

[3]]XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

श्री बृहस्पत सिंह :- किसी को नहीं बोलने देने का दो-चार लोग [XX][4] ले लिये हैं । 90 लोगों का सदन है साहब । 90 लोगों का विधान सभा है, सब को बोलने का अधिकार है । दो लोग यहां पर [XX] ले लिये हैं । (व्यवधान)

डॉ.(श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- अपने आपको देखो ।

अध्यक्ष महोदय :- यहां सब सम्मानित सदस्य बैठे हैं, प्लीज, प्लीज ।

श्री कुलदीप सिंह जुनेजा :- चार लोग को ट्रेनिंग दिये हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्य बैठे हैं, कोई किसी का [XX] नहीं है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मोहन मरकाम जी, मैं वैसी भाषा आपके लिये उपयोग करूंगा । उसी शैली में आपसे बात करूंगा । (व्यवधान)

डॉ.श्रीमती लक्ष्मी ध्रुव :- ये तो आज नहीं शुरू से वैसी बोलते हैं । (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- पूरे सदन में व्यवधान करने का आपने जिम्मा ले लिया है । (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- जनता ने चुना है...। (व्यवधान)

डॉ.श्रीमती लक्ष्मी ध्रुव :- प्रारंभ से ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- माननीय अजय जी, बैठिये प्लीज ।

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चन्द्राकर जी, कम से कम आप तो ऐसा न बोले । यह तो ऐसा हो गया कि सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को गई । आपने क्या किया ।

डॉ.(श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- यह आज नहीं, यह तो रोज-रोज की है ऐसी । (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- अपनी भाषा सुधार लें ये...। (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- यह बहुत बुरी बात है । (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- हमारे पैसे को बरबाद कर रहे हैं...। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- वोरा जी, ओ वोरा जी । बैठिये, बैठिये । वोरा जी । मरकाम जी, आप बैठिये । बृहस्पत सिंह जी बैठिये । मंत्री जी, सीधे-सीधे जवाब देंगे और बाकी लोग डिस्टर्ब न करें । समय बहुत कम है, नहीं तो मैं स्थगित कर दूंगा ।

डॉ.शिवकुमार डहरिया :-माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपसे निवेदन है कि प्रश्नकर्ता सदस्य जब प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं उत्तर दे रहा हूँ, मेरा उत्तर पूरा सुन लें, उसके बाद खड़े होकर कोई बात रखें । मैं जब उत्तर दे रहा हूँ, बीच में खड़े हो जाते हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आपको भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे ।

श्री बृहस्पत सिंह :- आदतन हो गये न सर, आदतन ।

---

[4]]XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2020-2021 का बता देता हूँ, वर्ष 2020-2021 से पूछ रहे हैं, अकलतरा में 106 स्वीकृत आवास थे, उसमें 4 पूर्ण हुये, 57 प्रगतिरत् है, एक अप्रारंभ है । बलौदा में 62 स्वीकृत है, 4 आवास पूर्ण हुये हैं, 57 प्रगतिरत् है, 1 आवास अप्रारंभ है । चांपा में 75 स्वीकृत है, 34 पूर्ण है, 31 प्रगतिरत् है, 10 अप्रारंभ है । खरौद में 211 स्वीकृत है, 28 पूर्ण हैं, 109 प्रगतिरत् है, 74 अप्रारंभ है, यह वर्ष 2020-2021 का है । इसी तरह से वर्ष 2021-2022 में अकलतरा में 314 स्वीकृत हुये, 56 पूर्ण हुये, 241 प्रगतिरत् है, 17 अप्रारंभ है और अकलतरा में वर्ष 2021-2022 में 127 स्वीकृत है, 127 में 127 अप्रारंभ है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2022-23 के लिये जो प्रधानमंत्री आवास Govt. of India से स्वीकृत होकर दिनांक 18-11-2022 को आये, उसकी प्रथम किस्त की राशि Govt. of India से मिली नहीं है। इसलिये कुछ जगहों पर भुगतान रूका हुआ है। Govt. of India इसकी राशि देती है और हम मैचिंग ग्रांट दे चुके हैं। हमारा पैसा दिया जा चुका है लेकिन Govt. of India से पैसे प्राप्त नहीं हुए हैं इसलिये कुछ जगहों पर काम रूका हुआ है। (शेम-शेम की आवाज)

अध्यक्ष महोदय :- श्री पुन्नूलाल मोहले जी।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक मिनट। यह पूरे प्रदेश की गरीब जनता से जुड़ा हुआ मामला है।

अध्यक्ष महोदय :- प्लीज, हो गया ना। श्री पुन्नूलाल मोहले जी।

श्री शिवतरन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, यह सदन में गलत जानकारी दे रहे हैं।

श्री कुलदीप जुनेजा :- अध्यक्ष महोदय, आपने पुन्नूलाल जी का नाम पुकार है। यह खड़े हो रहे हैं। (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- आप लोग मोदी जी का समझाईये ना। (व्यवधान)

सुश्री शकुंतला साहू :- (व्यवधान) सिर्फ धर्म के नाम पर भड़का रहे हैं। आप लोग गलत-गलत पर्चा बनवा रहे हैं। (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- मोदी जी को समझाईये ना। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- पुन्नूलाल जी।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- आप मोदी जी को समझाइये कि पैसा दे दें। (व्यवधान)

श्री कुलदीप जुनेजा :- अध्यक्ष जी, आपने सबसे पहले पुन्नूलाल जी का नाम पुकारा है। यह बोलने के लिये बीच में खड़े हो जाते हैं । (व्यवधान)

सुश्री शकुंतला साहू :- आप लोग सरकार के विरूद्ध भड़का रहे हैं। गलत-गलत पर्चा बंटवा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- आप लोग प्रधानमंत्री जी के पास धरना देने जाईये। प्रधानमंत्री जी के बंगले के सामने धरना देने जाईये। (व्यवधान)

श्री कुलदीप जुनेजा :- (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- (व्यवधान) हमने काम किया है। यदि मंत्री जी सदन में जानकारी दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- प्रधानमंत्री के पास धरना देने जाईये। (व्यवधान)

सुश्री शकुंतला साहू :- अध्यक्ष महोदय, 11 लाख नाम है और आपने 18 लाख लोगों से असत्य (व्यवधान) बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- आपको छत्तीसगढ़ की (व्यवधान)।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- अध्यक्ष महोदय, यह लोग जन आंदोलन भी चालू करवाये हैं।(व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष महोदय, मुझे अनुमति दीजिये। यह जो-जो पूछेंगे , मैं उसका जवाब दूंगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- कौन पूछेगा ?

श्री कुलदीप जुनेजा :- अध्यक्ष महोदय, इसे विलोपित करिये। आपने पुन्नूलाल जी को अनुमति दी है।

श्री नारायण चंदेल :- अध्यक्ष महोदय, मैं अंतिम (व्यवधान)।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- (व्यवधान) का पैसा दिला दो ना। मोदी जी से पैसा (व्यवधान)।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रधानमंत्री आवास का मामला है और गरीब जनता का मामला है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष महोदय, एक मिनट रूकिये। यह जो-जो पूछेंगे, मैं उसका जवाब दूंगा।

श्री नारायण चंदेल :- अध्यक्ष महोदय, वहां पर [xx][5] उसके बाद आवास स्वीकृत करने की बात करते हैं। (शेम-शेम की आवाज)

श्री मोहन मरकाम :- गरीबों के लिये झूठ मत बोलिये। (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, इस तरह से झूठे आरोप लगा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- अध्यक्ष महोदय, हम मंत्री जी के जवाब से असंतुष्ट है। इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाये। (व्यवधान)

[5] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार विलोपित किया गया।

एक माननीय सदस्य :- अध्यक्ष महोदय, यह कोई बात नहीं है। एक ही चीज को बार-बार बोलेंगे तो। (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- आपके [xx][6] (व्यवधान)

श्री गुलाब कमरो :- झूठे आरोप लगाना बंद करिये। झूठा आरोप मत लगाईये। (व्यवधान)

श्री सन्तराम नेताम :- अध्यक्ष महोदय, मुद्दाविहीन बात ..। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- प्रदेश सरकार को तत्काल पैसा देना है। (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष महोदय, यह झूठा आरोप लगा रहे हैं। इसे विलोपित करिये। झूठा आरोप लगाना बंद करिये।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, यह मार्केट से ट्रेनिंग लेकर आये हैं। (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अपने कार्यकाल की बातें बता रहे हैं। इसको विलोपित किया जाये, यह गलत बात कर रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, प्रदेश सरकार को तत्काल पैसा देना है। मंत्री जी ने.. पेमेंट नहीं दिया गया है। यह गलत जानकारी दे रहे हैं और सदन को गुमराह कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य :- बिना प्रमाणित कोई भी बात मत बोलिये

अध्यक्ष महोदय :- जो भी ऐसे शब्द आये हैं। मैं उनको विलोपित करता हूं।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार गरीबों के मामले में सदन को गुमराह करना, हम मंत्री जी के जवाब से असंतुष्ट है। हम सदन से बहिर्गमन करते हैं।

समय :

11.22 बजे

<u>बहिर्गमन</u>

<u>भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में</u>

(नेता प्रतिपक्ष श्री नारायण चंदेल के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये)

अध्यक्ष महोदय :- श्री पुन्नूलाल मोहले जी।

श्री कुलदीप जुनेजा :- अध्यक्ष जी, पुन्नूलाल जी के साथी नहीं है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- ते भी जा ना बाबा।

---

[6]]XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

अध्यक्ष महोदय :- प्लीज, ऐसा न करें। पुन्नूलाल जी बोलिये।

मुंगेली जिले में धार्मिक पर्यटन स्थलों हेतु स्वीकृत राशि

[पर्यटन]

4. (*क्र. 256) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला मुंगेली अंतर्गत धार्मिक एतिहासिक एवं पर्यटन की दृष्टि से कितने ग्रामों को चिन्हांकित किया गया है ? वर्ष 2021 से दिनांक 31/01/23 तक उक्त ग्रामों के एतिहासिक एवं धार्मिक पर्यटन क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, सौंदर्यीकरण एवं अन्य प्रकार के कार्य हेतु कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई? विकासखण्डवार बतावें ? **(ख)** क्या मुंगेली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सेतगंगा, ग्राम जगताकापा के नर्मदाकुण्ड, ग्राम अमोरा, ग्राम चितावर, ग्राम कुकुसदा जो एतिहासिक धार्मिक एवं पर्यटन महत्वों के ग्राम हैं, के जीर्णोद्धार व सौंदर्यीकरण हेतु शासन स्तर पर कोई कार्यवाही पूर्व में की गई है क्या कोई राशि स्वीकृत की गई है ? यदि हां तो कब, यदि नहीं तो कब की जावेगी ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) जिला मुंगेली अंतर्गत धार्मिक एतिहासिक एवं पर्यटन की दृष्टि से 03 स्थलों 01. अचानकमार, 02. लोरमी एवं 03. सेतगंगा को चिन्हांकित किया गया है। चिन्हांकित स्थलों के जीर्णोद्धार, सौंदर्यीकरण एवं अन्य प्रकार के कार्य हेतु पर्यटन विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा प्रश्नांकित तिथि में कोई राशि स्वीकृत नहीं की गयी है। **(ख)** मुंगेली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सेतगंगा में सामुदायिक भवन निर्माण हेतु वर्ष 2017 में राशि रू. 5.00 लाख स्वीकृत किये गये है। इसके अतिरिक्त खर्राघाट हेतु राशि रू. 10.00 लाख, देवगांव हेतु राशि रू. 5.00 लाख एवं चकरभाटा हेतु राशि रू. 5.00 लाख की स्वीकृति दी गयी है। तथा शेष स्थलों ग्राम जगताकांपा के नर्मदाकुण्ड, ग्राम अमोरा, ग्राम चितावर, ग्राम कुकुसदा के जीर्णोद्धार व सौंदर्यीकरण हेतु वर्तमान में कोई राशि स्वीकृत नहीं है। स्वीकृति जारी करने के संबंध में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, धार्मिक, ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थल के लिये तीन स्थानों को चिन्हांकित किया गया है। जिसमें अचानक मार्ग, लोरमी और सेज गंगा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये स्थान कब से चिन्हांकित किये गये हैं और शासन की मंशा क्या है ? क्या पर्यटन स्थल केवल घोषित किया जाता है या वहां के निर्माण कार्यों के लिये, वहां के रख-रखाव के लिये, वहां के जीर्णोद्धार के लिये या रिसॉर्ट के लिये राशि दी जाती है या नहीं दी जाती?

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, इन तीनों स्थलों को जो चिन्हांकित किये गये हैं, उसका दिनांक यह है कि अचानक मार्ग को वर्ष 2002 में, लोरमी को वर्ष 2002 में, सेज गंगा को वर्ष

08-11-2010 में चिन्हांकित किया गया है। रहा सवाल इन जगहों की राशि के काम का। जैसे-जैसे कलेक्टर से प्रतिवेदन आते जाता है, हम लोग उसके अनुसार अपने बजट के प्रबंधन के हिसाब से राशि स्वीकृत करते हैं।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने स्वत: मंत्री जो पेपर में दिया था। यहां तक यह भी बता दूं इनके अलावा यदि मैं फिर कहूं कि जैसे-जैसे कलेक्टर को दिया जाता है, कलेक्टर से प्रस्ताव आता है और जनप्रतिनिधि के प्रस्ताव को स्वीकृत करते हैं या सिर्फ कलेक्टर की बात को मानते हैं?

समय :

11.24 बजे **(उपाध्यक्ष महोदय (श्री सन्तराम नेताम) पीठासीन हुए)**

श्री ताम्रध्वज साहू :- उपाध्यक्ष महोदय, जनप्रतिनिधि का प्रस्ताव आता है, उसको कलेक्टर को परीक्षण करके जांच करके लिखने के लिये भेजा जाता है। यदि कलेक्टर को लगता है तो वे अपनी ओर से भी भेज सकते हैं । हम लोग यहां पर परीक्षण करने के बाद उसको बजट के हिसाब से राशि स्वीकृत करते हैं। जैसा कि आपने नीचे प्रश्न में स्वयं ही कहा है कि इन तीन जगहों की जानकारी दी फिर आपने नीचे पांच जगह के लिये पूछा कि इसमें कितनी राशि स्वीकृत की गयी। उसका भी मैंने उल्लेख किया है कि सेज गंगा में सामुदायिक भवन, 5 लाख, खर्रा घाट 10 लाख रूपये, देवगांव 5 लाख रूपये एवं चकरभाटा 5 लाख रूपये की राशि स्वीकृति दी गई है। उस समय आप मंत्री थे, आपके कार्यकाल की स्वीकृति है, आपने राशि जारी नहीं करवाई।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2021 के आपके विभाग का पत्र है। इसमें स्वीकृति भी की बात है और वहां राशि के अभाव में नहीं दिया गया, ऐसा है तो हमारा शासन काल निकल गया, उसके बाद भी यह हुआ है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या आप इन स्थलों हेतु राशि उपलब्ध करवायेंगे ? पर मैं यह कहना चाहूंगा कि आप नवागांव के धार्मिक स्थल कर्मा माता जी की जयंती में गये थे उस समय भी आपसे पयर्टन स्थल के लिए राशि की मांग की गई थी, उसके बाद लालपुर है, अमरटापू है और अमोरा है, क्या इन क्षेत्रों को पर्यटन स्थल घोषित करेंगे ? या पर्यटन स्थल घोषित करने के लिए जांच करके राशि दिलायेंगे क्या ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वरिष्ठ सदस्य जी ने जो भी प्रस्ताव रखा है, मेरे पास में वह जानकारी आ गई है, मैं उनको परीक्षण के लिए भेज दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय :- ठीक है।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो भाग "क" के प्रश्न का उत्तर है। अभी भाग "ख" का उत्तर चाहिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय :- पहले मूल प्रश्नकर्त्ता आप प्रश्न पूछ लीजिए। आप बाद में प्रश्न पूछ लिजिएगा।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने इन 4 स्थानों के लिए राशि स्वीकृति की है, क्या आप उस राशि की स्वीकृति कर रहे हैं या दे रहे हैं, मैं यह जानना चाहता हूँ ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनके कार्यकाल है। इन्होंने राशि जारी नहीं की, पर हम लोग जरूर जो शिथिल था, वह राशि दे देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय :- उनका एक प्रश्न आपने दीजिए। फिर आपको समय देंगे।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुंगेली जिले के पर्यटन की दृष्टि से जो भी जगह चिन्हित हैं, वह बहुत महत्वपूर्ण हैं वहां पर कोई फैक्ट्री वगैरह, माईन्स, खदान नहीं है, वह सिर्फ खेती और पर्यटन स्थल के लिए जाना जाता है। इस सदन में कम से कम 20 बार, मैंने माननीय मंत्री जी से कहा है कि अचानकमार, खुड़िया और माननीय मोहले जी जो बता रहे हैं वह सब धार्मिक, सौन्दर्य और प्राकृतिक परिपूर्ण, भरे हुए हैं वहां अचानकमार में तो एक झोपड़ी तक नहीं बनी है यह तो मानकर चलिये और आप चाहेंगे तो भी नहीं बनवा सकते। क्योंकि वहां पर अधिनायकवादी कानून चलता है, लेकिन आप खुड़िया में आपके विभाग के लोगों ने जो जवाब दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहां पर 5 एकड़ जमीन एडवांस पजेशन कलेक्टर से हम लोगों ने दिलवाया है, आपके जवाब में इस बात का जिक्र होना चाहिए कि 5 एकड़ जमीन खुड़िया दिलवाया। राजीव गांधी जी के नाम से वह डेम है। राजीव गांधी जी के नाम का जलाशय है, वहां पर भी आपने 2 रूपये नहीं दिया। केवल 4 सालों में कलेक्टर का प्रतिवेदन दिया। कलेक्टर प्रतिवेदन देगा या हम विधान सभा में जो बोल रहे हैं वह ज्यादा महत्वपूर्ण है, परन्तु आपकी सरकार मुंगेली जिले से नफरत करती है। वह इसलिये नफरत करती है कि वहां पर तीनों विधायक तीनों आपकी पार्टी के नहीं हैं। इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूँ कि स्वीकृति जारी करने के संबंध में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है ऐसा अपने जवाब में लिख देने से काम नहीं चलेगा। आप यह बोलिए कि अभी जो बजट आएगा, आपके पर्यटन को जो पैसा मिलेगा, उसमें खुड़िया, अचानकमार और बाकी अन्य जगहों के लिए राशि देंगे या नहीं देंगे ? आप इसकी घोषणा करिये ? आप कैबिनेट मंत्री हैं, सरकार के अंग हैं आपको इधर-उधर दायां-बायां भी पूछने की आवश्यकता नहीं है, आप वरिष्ठ आदमी हैं। इसलिये हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि हमारे लोगों का क्या दोष है ? कि पर्यटन में आपका इतना-इतना विज्ञापन होर्डिंग्स छपती है, करोड़ रूपये खर्च कर दिये, हजारों-करोड़ रूपये खर्च हो गये। मुंगेली वालों ने क्या गलती कर दी है कि आप उस क्षेत्र को पैसा नहीं देंगे ? और हम कोई 100-200 करोड़ रूपये मांग नहीं रहे हैं। आप थोड़ा ही थोड़ा छोटा-छोटा काम कर दीजिए। माननीय राजीव गांधी जी के जलाशय में राजीव गांधी जी की मूर्ति लगी है, जब वहां पर लोग जाते हैं

तब खेत के मेड़ में और पत्थर के ऊपर बैठकर खाना खाते हैं। आप वहां पर एक छोटा सा पर्यटन कुटीर भी नहीं बनवा सकते ?आपने वहां पर 4 सालों में एक झोपड़ी तक नहीं बनवाई तो यह हम लोगों के लिए बहुत दु:खदायी है मैं आपसे यह चाहता हूँ कि आप सदन में खड़े होकर, जिम्मेदारी से यह बोलें कि इन सभी पर्यटन स्थलों पर कुछ न कुछ पर्यटन के काम के लिए निर्माण किये जाएंगे।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो माननीय विद्वान सदस्य ने जो कहा कि मुंगेली के प्रति यह सरकार भेदभाव करती है, यह पूर्णत: गलत है। हम लोग पूरे प्रदेश के 90 विधान सभा क्षेत्रों में हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे सभी मंत्रीगण हम लोग अपने-अपने विभाग की पूरी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। रहा सवाल पर्यटन की बातों का है जब हमारी सरकार आई। हमें प्रांरभ में एक साल काम करने का अवसर मिला, डेढ़ साल कोरोना में सारे काम-काज बंद हो गये। अब उसके बाद हम लोगों ने काम करना शुरू किया तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि हम लोगों ने 14 जगहों को ट्राइवल टूरिज्म में सर्किट के अंतर्गत विकसित कर दिया है। हम लोगों ने डोगरगढ़ का काम हाथ में ले लिया है। सिरपुर का हमारा प्रोजेक्ट बनाकर हम लोगों ने भेज दिया है। अभी हम लोग राम वनगमन पथ के नाम से पूरा चिन्हांकित करके बना रहे हैं। पूरे प्रदेश में सारे चिन्हांकित पर्यटन स्थलों का विकास एक साथ एक वर्ष में हो जाये, ये संभव नहीं है। हम लोग लाईन से काम करते जा रहे हैं। मुंगेली में भी जैसा-जैसा आयेगा, काम करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, अब आप संतुष्ट हैं?

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये जैसा-जैसा, ऐसा-वैसा में काम नहीं चलने वाला है। आप बोलिये आप देंगे या नहीं देंगे? आपका मोटल सरगांव के पास है, उसमें सांप, बिच्छु, गंजेड़ी, नशेड़ी सब बैठे हुए हैं। आप उसी को तो साफ करवा दीजिए।

संसदीय सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्री से संबंद्ध (डॉ. रश्मि आशिष सिंह) :- क्या यह मोटल कांग्रेस राज में बना था?

उपाध्यक्ष महोदय :- आप एक प्रश्न करिये, फिर माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे।

श्री धर्मजीत सिंह :- वहां पर आपके पर्यटन के मोटलों का क्या हाल है, आप जाकर देखिये। अगर वहां डकैत, कोई लश्करे-तोईबा का आदमी आकर छिप जाये तो उनको खडगांव, मुंगेली जिले में एक साल तक पुलिस नहीं पकड़ पायेगी। आप जवाब तो ठीक से दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय :- आपका भी वही प्रश्न है और उनका भी वही प्रश्न है तो माननीय मंत्री जी एक साथ जवाब देंगे। आपका जवाब आ जायेगा। उनकी भी वहीं मांग है।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप जवाब दे भी देंगे तो कौन सा कार्य कर लेंगे। तीन महीने बाद तो आप सबका पॉवर भी सीज हो जायेगा, आचारसंहिता लग जायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, दोनों का तो एक ही सवाल है, लोग मांग कर रहे हैं।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब तो धर्मजीत जी ने दे दिया है।

श्री अरूण वोरा :- धर्मजीत भैया, आप पर अजय चन्द्राकर जी असर आते दिखाई दे रहा है। आप तो ऐसे न थे।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल महत्वपूर्ण है, आप थोड़ा सा बैठ जाईये।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप हमारे अवसर को छोड़िये। अभी आप इधर देखो, आपका countdown शुरू हो गया है। आप देखिये कि आपका कितना समय बाकी है। आप लोग 4 साल बहुत मजा किये हो।

श्री शिवरतन शर्मा :- क्या आप पर मोहन मरकाम जी का असर हो गया है ?

श्री अरूण वोरा :- हमारी सरकार के 04 साल बेमिशाल रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये मोहले जी, यह अंतिम अवसर है। अब मैं आगे बढ़ूंगा।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- परमानेंट कोई भी नहीं आता, 05 साल में परिवर्तन होता ही है। क्या आप लोग लिखाकर ले आये हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय :- यह प्रश्नकाल है, समय का महत्व है। आप बैठ जाईये। यह आपका अंतिम प्रश्न है, इसके बाद आगे बढ़ूंगा।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी यह कह रहे हैं कि हम भेदभाव नहीं बरतते तो आप भेद को छोड़ दीजिए, भाव बरत दीजिए। आपने जो पर्यटन स्थल घोषित किया है, रिसार्ट है, संडाश की व्यवस्था है, वहां के कुंड में राम जानकी मंदिर है, इनके लिए आप कम से कम बता दीजिए कि करेंगे या नहीं करेंगे ? आप कहते हैं कि क्रमानुसार करेंगे तो आप यह बता दीजिए कि हम किस क्रम में हैं ? जैसे-जैसे आयेगा, हमारे लिए आयेगा या उधर के लिए आयेगा, यह बता दीजिए।

संसदीय सचिव, कृषि मंत्री से संबंद्ध (सुश्री शकुंतला साहू) :- बाबा, 15 साल ले का करे हस, 10 साल मंत्री रहेस तो का करेस हस ?

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 04 साल में तुलसी चौरा नहीं बनवा पाये। यह इतने लज्जा की बात है किसी भी पर्यटन स्थल में टूरिज्म बोर्ड ने 04 साल में तुलसी का चबूतरा तक नहीं बनवाया है। क्या आप वहां की पब्लिक को इसी तरीके से देखना चाहते हैं ? डोंगरगढ़ में तो बहुत है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- धर्मजीत भैया, अभी उत्तर में आदरणीय पर्यटन मंत्री जी ने बताया न कि हम पूरा राम वनगमन पथ बना रहे हैं, राम जी आपके मुंगेली जिला गये नहीं तो हम लोग क्या करें, बताईये ? (हंसी)

श्री पुन्नूलाल मोहले :- मैं बता रहा हूं न कि राम क्यों नहीं गये।

श्री धर्मजीत सिंह :- पर्यटन मंत्री जी, मुंगेली जिला बहुत जाते हैं, उसके बाद भी उसके लिए पैसा नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, अब बैठ जाईये। भुवनेश्वर शोभाराम बघेल जी।

श्री अजय चन्द्राकर :- राम जी तो चंदखुरी में बनवाये हैं न, वहां भी नहीं गये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, आपका बहुत हो गया।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का उत्तर आ जाये।

उपाध्यक्ष महोदय :- उत्तर आ गया है, माननीय मंत्री जी बोल दिये।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- चंदुखरी माता कौशल्या का जन्म स्थान है।

उपाध्यक्ष महोदय :- मोहले जी, आपका उत्ता आ गया है, वह बोले हैं कि बना देगे। चलिये, आप एक प्रश्न कीजिए।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- वहां पर राम जानकी जी का मंदिर है।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप लोग एक-एक करके बोलिये ने, आप सब लोग एक साथ बोलते हैं।

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- चंदखुरी में माता कौशल्या जी का मंदिर है, वह रामचन्द्र जी की माता का जन्म स्थान है।

श्री धर्मजीत सिंह :- सेतुगंगा के मंदिर को, चौबे जी और साहू आप दोनों से आग्रह कर रहा हूं कि एक हजार साल से पुराना श्रीराम जानकी का मंदिर है, वहां के विकास के लिए आपने 02 रुपया नहीं दिया।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- वहां पर पुराना मंदिर है, धार्मिक स्थल है, वहां मेला भी लगता है।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप लोग एक-एक करके बोलिये, ऐसे में कैसे प्रश्न का उत्तर आयेगा।

श्री धर्मजीत सिंह :- नकली राम भक्ति मत करिये न, असली राम भक्ति करिये।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- धर्मजीत भैया, अपने पड़ोसी को तो बताओ। चंदखुरी माता कौशल्या का जन्म स्थल है।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है।

उपाध्यक्ष महोदय :- भुवनेश्वर शोभाराम बघेल जी, अपना प्रश्न करिये। आ गया बाबा, इसमें सब आ गया।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। वह लाईन के अनुसार करेंगे, ऐसा बोले हैं, करेंगे थोडी बोले हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- अब उनके पास उत्तर ही नहीं है। पर्यटन स्थल के विकास की आपकी मांग है, हो जायेगा। 20 मिनट हो गया है, चलिये, आप प्रश्न कीजिए। आप शांत रहिये।

<u>अविभाजित राजनांदगांव जिले में पुरातात्विक स्थलों के संवर्धन/संरक्षण हेतु स्वीकृत राशि</u>

[संस्कृति]

5. (*क्र .374) श्री भुनेश्वर शोभाराम बघेल : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि -: **(क)** अविभाजित राजनांदगांव जिले में कौन-कौन से पुरातत्विक स्थल हैं ? इनके संरक्षण एवं संवर्धन हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21से 31.01.2023 तक कुल कितनी राशियां स्वीकृत की गई हैं? **(ख)** प्रश्नांश "क "के तहत स्वीकृत राशि से जिले में पुरातत्व संरक्षण, पर्यटन विकास एवं संस्कृति विकास हेतु किन-किन स्थानों में क्या-क्या कार्य किए गए हैं?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- **(क)** अविभाजित राजनांदगांव जिले में विभाग के अंतर्गत पुरातत्विक स्थल राज्य संरक्षित स्मारक शिव मंदिर, बिरख (घटियारी) है। इसके संरक्षण एवं संवर्धन हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 से 31.01.2023 तक स्वीकृत राशियों की जानकारी निरंक है। **(ख)** जानकारी निरंक है।

श्री भुवनेश्वर शोभाराम बघेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न राजनांदगांव जिले के पुरातात्विक स्थलों के संवर्धन/संरक्षण के लिए है। मैं माननीय मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट हूं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि राज्य शासन द्वारा संचालित पुरातात्विक धरोहर के साथ-साथ लगभग 45 असरंक्षित धरोहर भी उपलब्ध हैं। ये मूर्तियां 11वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक है। इसमें डोंगरगढ़ की रणचण्डी मंदिर के पीछे रखी हुई प्राचीन मूर्तियां हैं। इसमें भैरव, चामुण्डा, शिवलिंग, योद्धा उपासक आदि हैं। इसी प्रकार तोतलभर्री, कन्हारगांव, कोकट्टा और धारा में रखी हुई योद्धा उपासक, सती आदि की भी प्राचीन मूर्तियां हैं। मूर्तियां गोपालपुर की प्राचीन अष्ट धातु गणेश जी की प्रतिमा है। श्रृंगारपुर में बजरंगबली की प्राचीन प्रतिमा, खैरागढ़ में गातापार जंगल, निमाऊटोला, गाड़ाघाट, कुकरापाठ, प्रधानपाठ आदि स्थानों में दुर्लभ प्राचीन प्रतिमा प्राप्त हुई है, जिन्हें चिन्हांकित कर शासन की रिपोर्ट प्रेषित किया गया है। जिसे जिले में ऐसी संरक्षित, असंरक्षित धरोहर को पुरातत्व संचालनालय, रायपुर के द्वारा निर्देश पर वर्ष 2003 से 2008 तक लगभग चार बार सर्वे किया जा चुका है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट। यह प्रश्न कर रहे हैं या जवाब दे रहे हैं? वह सीधा प्रश्न करें। बाकी लोगों का भी प्रश्न लगा हुआ है। जो स्वीकृत हुआ है या नहीं हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप सीधा प्रश्न कीजिये।

श्री भुवनेश्वर शोभाराम बघेल :- मैं थोड़ा बताने के बाद प्रश्न कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप फिर प्रश्न कीजिये। अभी वह नये सदस्य है, थोड़ा समय लगता है।

श्री धमरलाल कौशिक :- उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि वह सीधा प्रश्न करें। इसको पढ़े मत।

श्री धर्मजीत सिंह :- वह क्या प्रश्न करेंगे। उत्तर में तो लख दिया गया है कि स्वीकृत राशियों की जानकारी निरंक है। उत्तर में निरंक लिखा है तो फिर वह क्या जवाब देंगे।

श्रम मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- उपाध्यक्ष महोदय, वह प्रश्न तक नहीं पढ़ सकते।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- वह नाम बतायेंगे, तभी तो जानेंगे। भैया, वह सारे नाम ही तो बता रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- वह नये सदस्य हैं, थोड़ा सा समय लगता है। आप डायरेक्ट प्वाइंटेड प्रश्न पूछिये।

श्री भुवनेश्वर शोभाराम बघेल :- मैंने उन सारे जगहों के नामों का जिक्र किया है, जिसको असंरक्षित रखा गया है।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप डायरेक्ट प्वाइंटेड प्रश्न पूछिये।

श्री भुवनेश्वर शोभाराम बघेल :- मैं मंत्री जी से यह प्रश्न करता हूं कि इन्हें राज्य शासन द्वारा संरक्षित घोषित करने की क्या योजना है तथा शासन द्वारा संरक्षण प्रदान करने हेतु कब तक आदेशित किया जायेगा?

उपाध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया था, उसकी जानकारी तो निरंक है। लेकिन फिर से उन्होंने जो नई बातों के बारे में जनाकारी दी है, उसका मैं परीक्षण करा लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय :- ठीक है। अगला प्रश्न। श्री शिवरतन शर्मा जी।

<u>प्रदेश में कस्टम मिलिंग में मिलर्स को राशि का भुगतान</u>

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

6. (*क्र. 343) श्री शिवरतन शर्मा : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क(** सत्र 2021-22 व 2022-23 में छत्तीसगढ़ में कुल कितना कस्टम मिलिंग करायी गयी है, उक्त कस्टम मिलिंग हेतु क्या-क्या दर थी ? **(ख)** उक्त समयावधि में कस्टम मिलिंग हेतु शासन द्वारा मिलर्स को कितना धान प्रदाय किया गया तथा कितना चावल जमा किया गया तथा कितना चावल जमा करना शेष है ? **(ग)** राईस मिलर्स को उक्त अवधि में कस्टम मिलिंग का किस दर से कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया तथा कितना भुगतान करना शेष है तथा लंबित भुगतान कब तक कर दिया जावेगा ?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- **(क)** दिनांक 20 फरवरी 2023 की स्थिति में खरीफ वर्ष 2021-22 में उपार्जित धान मे से 97.30 लाख मेट्रिक टन व खरीफ वर्ष 2022-23 में उपार्जित धान में

से 101.79 लाख मेट्रिक टन, कुल 199.09 लाख मेट्रिक टन धान को कस्टम मिलिंग हेतु प्रदाय किया गया। कस्टम मिलिंग हेतु भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 व 2022-23 में अरवा मिलिंग हेतु 10.00 प्रति क्विं. तथा उसना मिलिंग हेतु 20.00 प्रति क्विं. की दर निर्धारित है । **(ख)** दिनांक 20-02-2023 की स्थिति मे खरीफ वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 कस्टम मिलिंग हेतु मिलर्स को प्रदाय धान की मात्रा तथा जमा चावल एवं शेष चावल की जानकारी निम्नानुसार है :-

(मात्रा लाख मे टन में)

वर्ष	कस्टम मिलिंग हेतु प्रदाय धान की मात्रा	चावल जमा की मात्रा	जमा हेतु शेष चावल की मात्रा
2021-22	97.30	65.38	0.07
2022-23	101.79	34.23	34.47

(ग) खरीफ वर्ष 2021-22 में अरवा मिलिंग हेतु 10.00 प्रति क्विं. तथा उसना मिलिंग हेतु 20.00 प्रति क्विं. निर्धारित है। राईस मिलर्स को कस्टम मिलिंग देयक के विरुद्ध 108.08 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। मिलर्स से प्राप्त कस्टम मिलिंग देयक का भुगतान सतत् प्रक्रिया है। वर्तमान में 181.47 करोड़ रुपए भुगतान हेतु शेष है। देयको के परीक्षण उपरांत मिलर्स को भुगतान योग्य राशि का अंतरण किया जाता है। वर्ष 2022-23 में मिलर्स द्वारा देयक प्रस्तुत नही किये गये है, मिलर्स द्वारा देयक प्रस्तुत करने उपरांत परीक्षण कर भुगतान योग्य राशि का अंतरण मिलर्स को किया जाता है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष जी, मैंने कस्टम मिलिंग के दर के संबंध में प्रश्न किया है। इसमें माननीय मंत्री जी ने जवाब में यह जानकारी दी है कि वर्ष 2021-2022 व 2022-2023 में अरवा का 10 रूपये प्रति क्विंटल और उसना का 20 रूपये प्रति क्विंटल मिलिंग हेतु दर निर्धारित है। इसमें प्रदेश सरकार दोनों सत्रों में मिलर्स को प्रोत्साहन राशि कितनी-कितनी दे रही है? और दूसरा, जो मिलर्स को प्रोत्साहन राशि देने के बाद बारदाने में किस दर पर कटौती कर रही है?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रोत्साहन राशि 120 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से है और अलग-अलग नार्म्स में जिसमें-जिसमें कमी पाई जाती है, केवल उसमें कटौती होती है। स्पेशल कटौती का कोई नियम नहीं है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मंत्री जी, मेरा प्रश्न वर्ष 2021-2022 व 2022-2023, इन दोनों वर्षों के लिए है। क्या वर्ष 2021-2022 में भी आप प्रोत्साहन राशि 120 रूपये दे रहे हैं?

श्री मोहम्मद अकबर :- यह वर्ष 2022-2023 के लिए है।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैंने वर्ष 2021-2022 व 2022-2023, इन दोनों वर्षों के लिए प्रश्न पूछा है।

श्री मोहम्मद अकबर :- वर्ष 2022-2023 में ही 120 रूपये प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है।

श्री शिवरतन शर्मा :- और 2021-2022 में क्या दे रहे हैं?

श्री मोहन मरकाम :- शर्मा साहब, तोर करा तो मिल हे, तोला तो पता ही होही।

श्री शिवरतन शर्मा :- मोर करा मिल नई हे।

श्री सौरभ सिंह :- तुंहर कोसा अध्यक्ष करा सब हिसाब हे।

श्री मोहम्मद अकबर :- भारत सरकार की तरफ से 10 रूपये और 20 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से दर निर्धारित है। वर्ष 2022-2023 के हिसाब से प्रोत्साहन राशि 120 रूपये है। उसमें दो महीने की मिलिंग का उपभोग करने के बाद ही प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान है।

श्री शिवरतन शर्मा :- क्या है कि आप बदले में उत्तर देने के लिए खड़े हो गये हैं, लेकिन आपको पूरी जानकारी नहीं है।

श्री मोहम्मद अकबर :- नहीं, मैंने पूरी जानकारी दी है।

उपाध्यक्ष महोदय :- नहीं, पूरी जिम्मेदारी के साथ जवाब दे रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैं आपसे पूछ लेता हूं कि प्रदेश सरकार यह जो 120 रूपये प्रोत्साहन राशि दे रही है। सेंट्रल ने कस्टम मिलिंग का जो रेट तय किया है, उसको मिलाकर है या उसके अतिरिक्त है? दूसरा, जो मिलर्स धान उठाता है और चावल जमा करता है, उसमें मिलर्स से बारदाने की कितनी राशि काटी जाती है और हम किसान को बारदाने की कितनी राशि देते हैं?

उपाध्यक्ष महोदय :- बारदाना की राशि बता दीजिये।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 120 रूपये प्रोत्साहन राशि दी जाती है और यह राशि, 10 रूपये व 20 रूपये से अलग है।

श्री शिवरतन शर्मा :- उपाध्यक्ष महोदय, बारदाने का उत्तर नहीं आया है।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, बारदाना का बता दीजिये। आपका अंतिम प्रश्न है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा एक ही प्रश्न तो हुआ है। (हंसी)

नेता प्रतिपक्ष (श्री नारायण चंदेल) :- माननीय उपाध्यक्ष जी, अकबर भाई तो 2000 से 2003 तक खाद्य मंत्री रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- नहीं, वह अच्छा उत्तर दे रहे हैं। आपको क्या दिक्कत है? वह अभी बारदाना का बता रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं, माननीय मंत्री जी की प्रतिभा पर कोई प्रश्न चिन्ह लगा ही नहीं सकता। हम सब मानते हैं कि वह प्रतिभाशील व्यक्ति हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- वह जिम्मेदारी के साथ जवाब दे रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, 7 रूपये 32 पैसे पर बोरा, किसको काटा जा रहा है?

श्री मोहम्मद अकबर :- आपने बारदाने का कहा न?

श्री शिवरतन शर्मा :- मैंने बारदाने से पूछा न। मिलर्स से 25 रूपए काटा जा रहा है। अधिकारी आपको गलत जानकारी दे रहे हैं और किसान को 7 रूपये 25 पैसे दिया जा रहा है। 18 रूपये का तो आप किसान को यहां चूना लगा रहे हैं, एक। दूसरा विषय यह है कि मैंने देयक की जानकारी पूछी है तो इन्होंने वर्ष 2021-22 में 108 करोड़ रूपये देने की बात स्वीकार की है और 181 करोड़ 47 लाख रूपये देना शेष बताया है और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और देयक प्राप्त नहीं हुआ है। मैं आपको जानकारी में दे दूं कि सारे राईस मिलर्स देयक समय पर जमा करते हैं, पर जान-बूझकर पेमेंट रोका जाता है। इसमें राईस मिलर्स से [XX][7] की वसूली होती है। (शेम-शेम की आवाज)

श्री बृहस्पत सिंह :- शर्मा जी, आपके पास बहुत ज्यादा राईस मिल है क्या?

श्री शिवरतन शर्मा :- और जब तक वहां [XX] नहीं पहुंचता, तब तक किसी मिलर्स का पेमेंट नहीं होता। चाहे वह वर्ष 2021 का है, वर्ष 2021-22 का है या वर्ष 2022-23 का है? अब [XX] माननीय मंत्री जी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वे पहले फूड मिनिस्टर रह चुके हैं और आज की व्यवस्था को भी वे जानते हैं। मैं आपसे सीधा प्रश्न करता हूं कि पिछले साल आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि 181 करोड़ रूपये देना बाकी है। कितने राईस मिलर्स ने देयक प्रस्तुत किया और उनके देयक वापस किये? आप यह बता दें।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए, मंत्री जी।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप कृपया अपने प्रश्न को पढ़ लें। सबसे पहली बात तो यह कि आप जो आरोप लगा रहे हैं, वह बिल्कुल गलत बात है। इस तरीके का आरोप आपको नहीं लगाना चाहिए। यदि कुछ है तो आप सबूत के साथ रख दें। दूसरी बात यह कि आप अपने प्रश्न को देखिए। आपने कितने राईस मिल का आपने टोटल पूछा वर्ष 2021-22 और वर्ष 2022-23 में। कितना कस्टम मिलिंग हुआ? दर क्या था? कितना जमा हुआ और कितना बाकी है? अब कितने राईस मिलर्स का, वह अलग-अलग, यह किस प्रकार से संभव है? आप इसे खुद ही समझ रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं-नहीं, माननीय मंत्री जी, आप मेरे प्रश्न को पहले ही बोल रहे हैं। मैंने अपने प्रश्न में सीधा-सीधा प्रश्न किया है। कितना भुगतान करना शेष है? आप भुगतान करने की राशि बता रहे हैं? और बता रहे हैं कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। देयक प्रस्तुत होता है, देयक प्रस्तुत

[7] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

करने के बाद भुगतान किया जाता है। तो मैंने सीधा-सीधा प्रश्न किया है कि कितने राईस मिलर्स ने देयक प्रस्तुत किया है और उनका भुगतान नहीं हुआ है, यह बता दें।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए, चन्द्राकर जी, एक प्रश्न आप कर लीजिए। दोनों का प्रश्न आ जाएगा। आप एक साथ उत्तर दे देंगे।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय, मेरे प्रश्न का उत्तर आ जाये। यहां राईस मिलर्स देयक प्रस्तुत कर रहे हैं, पर जब तक [XX][8] टैक्स का भुगतान नहीं होगा, जब तक उनको भुगतान नहीं होगा। तो मैंने सीधा प्रश्न किया है कि कितने राईस मिलर्स ने देयक प्रस्तुत किया है, उसके पश्चात् उसका भुगतान नहीं हुआ है, आप केवल जरा इसकी जानकारी दे दें।

नेता प्रतिपक्ष (श्री नारायण चंदेल) :- माननीय उपाध्यक्ष जी, यह [XX] है क्या? इस प्रदेश की जनता सदन के माध्यम से जानना चाहती है और यह कब लगा है?

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2021-22 में 2035 पंजीकृत किसान हैं, पंजीकृत मिलर्स हैं और वर्ष 2022-23 में 2290, टोटल 108 करोड़ रूपये का भुगतान देना बाकी है। अब उसमें कितने किसान, आप अपने मूल प्रश्न को तो देखिए कि अलग-अलग, कितन, क्या किस तरीके का, ऐसा कुछ नहीं है। टोटल कितना बाकी है और यह संख्या इतनी बड़ी संख्या है कि 2035 और 2290, तो कैसे बता पायेंगे?

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए, अजय चन्द्राकर जी, आप पूछिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- उपाध्यक्ष जी, मैंने बहुत स्पष्ट प्रश्न किया है, आपने उत्तर में दिया है कि 181 करोड़ रूपये पेमेंट करना शेष है और शेष होने का कारण यह बताया गया है कि उन्होंने देयक प्रस्तुत नहीं किया। मैं जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं कि छत्तीसगढ़ के सारे राईस मिलर्स ने वर्ष 2021-22 का देयक प्रस्तुत किया है और उनका पेमेंट नहीं किया जा रहा है। अगर आप उत्तर दे रहे हैं कि उन्होंने देयक प्रस्तुत नहीं किया है तो इस कारण उनका पेमेंट नहीं हुआ तो आप यह बताएं न कि कितना राईस मिलर्स ने देयक प्रस्तुत नहीं किया? आप संख्या तो बता दीजिए कि इतने राईस मिलर्स का देयक प्रस्तुत नहीं हुआ है। किस जिले के कितने राईस मिलर्स ने प्रस्तुत नहीं किया है, आप यह बता दें।

उपाध्यक्ष महोदय :- अगर मूल प्रश्न में बात है तो बता दीजिए।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो जवाब दिया गया है, वह बिल्कुल सही है।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए, अजय चन्द्राकर जी। इनका प्रश्न आने दीजिए न।

[8]]XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

श्री मोहम्मद अकबर :- जिनका देयक प्रस्तुत नहीं हुआ, उनका भुगतान बाकी है और देयक प्रस्तुत होने के बाद भी परीक्षण किया जाता है। पूरा मिलान होता है, उसके बाद भुगतान होता है।

उपाध्यक्ष महोदय :- शर्मा जी, एक प्रश्न उनका आने दीजिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष जी, मैंने बहुत प्वाइंटेड प्रश्न किया है। मैंने प्रश्न किया है कि कितने राईस मिलर्स ने देयक प्रस्तुत नहीं किया? एक प्रश्न है सीधा-सीधा। आप बोल रहे हैं कि देयक प्रस्तुत नहीं हुआ है, इसलिए हमने उनको पेमेंट नहीं किया है। कितने ने प्रस्तुत नहीं किया है, आप मुझे यह बता दीजिए।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिले द्वारा मुख्यालय को ऑनलाइन प्रेषित बिल 279, जिले द्वारा मुख्यालय को ऑनलाइन प्रेषित बिल के विरूद्ध भुगतान हेतु शेष 366 करोड़।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए, अजय चन्द्राकर जी, आप पूछिए। (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सब चीज ऑनलाइन है। मंत्री जी ने यह स्वीकार किया है कि सारे चीजें ऑनलाइन है। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मंत्री जी, आपने जो उत्तर दिया है, आप अपने उत्तर को पढ़ लीजिए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- एक-एक करके पूछिए। तब तो उत्तर आएगा? (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, सभी बातें आ गई हैं। बाकी लोगों के सदस्यों के प्रश्नों का भी ध्यान रखा जाये। (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- सारी चीजें ऑनलाईन है तो फिर सदन को घुमा क्यों रहे हैं? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- कृपया एक-एक करके पूछिए तब उत्तर आएगा ।

श्री शिवरतन शर्मा :- उपाध्यक्ष जी, उत्तर को पढ़ लीजिए ना ।

श्री बृहस्पत सिंह :- एक ही प्रश्न में बहुत ज्यादा समय हो गया है, बाकी सदस्यों को भी मौका दिया जाए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- इस उत्तर में बताया गया कि कितनी राशि भुगतान की गई । मैंने प्रश्न किया कि कितने राईस मिलर ने देयक प्रस्तुत नहीं किया ? देयक प्रस्तुत करने के लिए कोई अंतिम तिथि है क्या ? यह बता दें मंत्री जी ।

श्री बृहस्पत सिंह :- उपाध्यक्ष जी, बाकी सदस्यों को भी मौका दीजिए ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए, अजय चन्द्राकर जी एक प्रश्न पूछिये ।

श्री बृहस्पत सिंह :- एक ही प्रश्न पर आधे-आधे घंटे बर्बाद न किया जाए । बाकी सदस्यों को भी मौका दिया जाए ।

श्री मोहम्मद अकबर :- उपाध्यक्ष महोदय, बिलों के प्रकरण ऑनलाईन हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए, श्रीमती..। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- उत्तर कहां आया ? उपाध्यक्ष जी, आप मंत्री जी का उत्तर तो सुन लीजिए । मेरे प्रश्न का उत्तर तो आ जाए मंत्री जी से ।

उपाध्यक्ष महोदय :- एक-एक करके पूछिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा ।

श्री शिवरतन शर्मा :- उत्तर तो सुन लीजिए ।

श्री मोहम्मद अकबर :- उपाध्यक्ष महोदय, ऑनलाईन सिस्टम है, सतत् प्रक्रिया है । अभी मैं कोई संख्या दूंगा तो शाम तक और आ जाएगा । यह तो सतत् प्रक्रिया है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- कितने लोगों ने देयक प्रस्तुत नहीं किया ?

उपाध्यक्ष महोदय :- आप अलग से कक्ष में मिल लीजिए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- उपाध्यक्ष महोदय, इसमें बड़ा खेला हो रहा है । [xx][9] । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- बृहस्पत सिंह जी बैठिये आप ।

श्री बृहस्पत सिंह :- उपाध्यक्ष जी, ऐसा लग रहा है कि राईस मिलर्स प्रश्न करवा रहे हैं । ऐसा लग रहा है कि [xx] प्रश्न करवा रहे हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- ये किस हैसियत से खड़े हुए हैं ? मैं मूल प्रश्नकर्ता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल को बाधित न करें ।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- आपके बाद अगर अजय चन्द्राकर जी का नाम पुकारा गया है तो बृहस्पत सिंह भी पूछ सकते हैं । (व्यवधान) वह भी सदन का सदस्य है ।

श्री अरूण वोरा :- आधे घंटे से उसी प्रश्न को घुमा रहे हैं, बाकी लोगों के भी तो प्रश्न लगे हुए हैं ।

डॉ. रश्मि आशिष सिंह :- अभी पुरातत्व वाले में समझ में नहीं आ रहा था कि मूल प्रश्नकर्ता कौन है । (व्यवधान)

श्री पुन्नूलाल मोहले :- जब बृहस्पत सिंह प्रश्न कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय :- पुन्नूलाल जी बैठ जाइए आप ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आपके में प्रश्न कौन कर रहा है, यह समझ में नहीं आ रहा है ।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप पूछिये नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा ।

श्री बृहस्पत सिंह :- उपाध्यक्ष जी, दूसरों के प्रश्नों का भी ध्यान रखा जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय :- यह आपका अंतिम प्रश्न है ।

---

[9] [xx] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय संसदीय कार्यमंत्री के अनुसार बिना नाम पुकारे भी 10-15 लोग पूछ सकते हैं ।

श्री रविन्द्र चौबे :- जब अजय चन्द्राकर पूछ सकते हैं तो बृहस्पत सिंह भी पूछ सकते हैं, क्यों नहीं पूछ सकते ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- अरे, आप लोग बैठिये ।

डॉ. रश्मि आशिष सिंह :- आप लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है और हम लोग बिना ट्रेनिंग के आ गए यहां विधायक बन के ।

उपाध्यक्ष महोदय :- यह प्रश्नकाल है, महत्वपूर्ण है, अभी 12 मिनट बाकी है अभी और भी प्रश्न आएंगे । आप इधर-उधर की बात मत करिए, डायरेक्ट प्रश्न कीजिए । आप प्वाइंटेड प्रश्न पूछिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मंत्री जी, आप तो आला दर्जे के आलिम आदमी हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप प्वाइंटेड प्रश्न पूछिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- हां, पूछ रहा हूं ना मै तो । आप आला दर्जे के आलिम आदमी हैं ।

डॉ. रश्मि आशिष सिंह :- मिल मिलाकर रंजना का प्रश्न नहीं आने दे रहे हैं।

श्री अरूण वोरा :- आप प्वाइंटेड प्रश्न रखें, इधर-उधर की बातें न करें । बाकी सदस्यों के भी प्रश्न हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल महत्वपूर्ण काल होता है, समय का महत्व है, नये सदस्यों के प्रश्न लगे हैं ।

श्री अरूण वोरा :- धरमलाल कौशिक जी का प्रश्न लगा हुआ है, कौशिक जी लाईन में हैं अभी ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की नियम प्रक्रिया में 2022-23 की भी मिलिंग खत्म हो गई, 2023-24 की भी मिलिंग लगभग खत्म हो गई । तो 2021-22 के 181.47 करोड़ बाकी हैं । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि भुगतान करने की प्रक्रिया क्या है, देयक की जांच करने के बाद कितने दिनों में भुगतान कर देने के निर्देश हैं और यदि उन निर्देशों का पालन नहीं किया गया है तो किसी कर्मचारी, अधिकारी के ऊपर कार्रवाई आज तक की गई है क्या ? या ऐसे ही दो-दो साल तक इंडेफिनिट रखा जाता है ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए, मंत्री जी अंतिम प्रश्न है ।

श्री मोहम्मद अकबर :- उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो माननीय शिवरतन शर्मा जी ने जो कहा कि [xx][10], यह विलोपित होना चाहिए या कोई सबूत है तो आप रख दीजिए ।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- उपाध्यक्ष महोदय, पहले विलोपित किया जाए ।

---

[10] [xx] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

डॉ. रश्मि आशिष सिंह :- सही बात है ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- विलोपित किया जाए महोदय जी ।

डॉ. रश्मि आशिष सिंह :- इन लोगों को जब से डांट पड़ी है, तब से भ्रष्टाचार बोलते रहते हैं ।

श्री बृहस्पत सिंह :- झूठे आरोप को विलोपित किया जाए । अनर्गल बयानबाजी, अनर्गल बयान, झूठे आरोप को विलोपित किया जाना चाहिए ।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- असत्य की तो कोई सीमा नही है। इन लोग इतना असत्य बोलेंगे। (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह की अनर्गल बातों को पहले विलोपित किया जाए। उसके बाद आगे बढ़ा जाए। यह कुछ भी आरोप लगायेंगे ? उसको विलोपित कर दें। (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- यह विलोपित करने का आदेश आसंदी से होना चाहिए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू जी।

श्री अजय चंद्राकर :- मेरा तो उत्तर ही नहीं आया है। (व्यवधान)

डॉ. रश्मि आशिष सिंह :- इतनी डांट पड़ी है कि बात नहीं पच पा रही है। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- प्रश्न का उत्तर ही नहीं आया है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- 20 मिनट पूरे होने को आ गया है और क्या प्रश्न बाकी है ? (व्यवधान) आप लोग शांत रहिए। प्रश्न आने दीजिए। आप लोगों का महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह अनर्गल बात को विलोपित कर दें। (व्यवधान) इसको विलोपित किया जाना चाहिए, उसके बाद आगे बढ़ें।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह अपने शब्द वापस लें। यह कैसे कह सकते हैं ? इसको विलोपित किया जाना चाहिए।

श्री अरूण वोरा :- विलोपित किया जाए। (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- असत्य आरोप लगाएं हैं। इसको विलोपित किया जाए। उपाध्यक्ष महोदय :- बृहस्पत सिंह जी, शांत रहिए। प्रश्नकाल है, यह महत्वपूर्ण काल होता है, आप समझते क्यों नहीं हैं। (व्यवधान) मंत्री जी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं।

डॉ. रश्मि आशिष सिंह :- पहले विलोपित किया जाए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- ऐसा नहीं होता है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कुछ भी बोलेंगे। (व्यवधान) पहले विलोपित किया जाए या माननीय सदस्य पहले खेद व्यक्त करें।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप लोग मेरी बात सुनिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- उपाध्यक्ष जी, पहले विलोपित करने का आदेश कीजिए। (व्यवधान)

श्री गुलाब कमरो :- इसको पहले विलोपित किया जाए, क्योंकि प्रश्नकाल में बोला जा रहा है। (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य पहले खेद व्यक्त करें। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- किस बात पर खेद व्यक्त करें ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आप किस तरह का आरोप लगा सकते हो ?

उपाध्यक्ष महोदय :- मैं दिखवा लेता हूं। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- यह आरोप लगा रहे हैं, उसको विलोपित किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय :- मैं दिखवा लूंगा, जो भी कार्यवाही में होगा, विलोपित करूंगा। मैं बोल रहा हूं ना।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आप किस तरह विरोध कर रहे हैं। पहले विलोपित हो जाए।

उपाध्यक्ष महोदय :- मैं दिखवा लूंगा विलोपित करवा दूंगा। चलिए, आप लोग बैठिए। प्रश्न पूछिए, शांत रहिए। (मेजों की थपथपाहट) मैं दिखवा लूंगा और ऐसा होगा तो मैं विलोपित करवा दूंगा। चलिए, आप प्रश्न पूछिए।

श्री अजय चंद्राकर :- वे उत्तर देंगे ना, मैंने तो प्रश्न पूछ लिया है।

श्री बृहस्पत सिंह :- ऐसा है। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- उपाध्यक्ष महोदय जी, ऐसा है, वे ऐसा बोले हैं। (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- असत्य आरोप लगाया है। इसलिए उसको विलोपित किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, आप सार्थक उत्तर दीजिए।

श्री बृहस्पत सिंह :- विलोपित किया जाए उसके बाद आगे बढ़ा जाए। यह असत्य आरोप है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- बृहस्पत सिंह जी, 9 मिनट बाकी है, मैंडम का एकात प्रश्न आ जाएगा। चलिए।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वे जवाब देंगे। वे उसका जवाब देंगे।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- उपाध्यक्ष महोदय जी, पहले विलोपित करवाईए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- हो गया ना, भाई। मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। अनावश्यक खड़ा मत होईए।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- खेद व्यक्त करिए। (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- करोड़ों रूपए का नान घोटाला करने वाले [XX][11] आरोप लगायेंगे ? (व्यवधान)

[11] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप लोग बैठ जाईए। प्रश्न आ रहा है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- खेद व्यक्त करिए। (व्यवधान)

श्री अरूण वोरा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

उपाध्यक्ष महोदय :- वोरा जी, आप बैठिए। मैं फिर स्थगित कर दूंगा।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अनर्गल आरोप लगाते हो, आप पहले खेद व्यक्त करिए।

उपाध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, आप पहले बैठ जाईए। उत्तर आने दीजिए। अब कोई भी उठेंगे तो मैं स्थगित कर दूंगा। चलिए, आप प्रश्न करिए। (मेजों की थपथपाहट) चलिए, अब शांत रहिए।

श्री मोहम्मद अकबर :- अब मैं उत्तर दे देता हूं। दूसरी बात, आपने यह कहा कि कितने दिनों के अंदर भुगतान करना चाहिए ? कितने दिनों के अंदर भुगतान करना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। बिल प्रस्तुत होने के बाद परीक्षण होगा, पूरा मिलान होगा, उसके बाद भुगतान होगा। कितने दिनों में करना है, यह बंधनकारी नहीं है। बजट आवंटन होगा, उपलब्धता के आधार पर भुगतान होगा। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू जी। चंद्राकर साहब, अब प्रश्न हो गया। मैंडम, चलिए आप बोलिए।

श्री अजय चंद्राकर :- एक और प्रश्न है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- हो गया, पूरा प्रश्न आ गया। अब शांत रहिए। अब कोई भी सदस्य नहीं उठेगा।

श्री अजय चंद्राकर :- यह जान बूझकर भुगतान करने से रोक रहे हैं। जांच एजेंसी द्वारा (व्यवधान) आप रोक रहे हैं। इसीलिए हम आरोप लगा रहे हैं कि आप वहां पर [XX][12] लगवा रहे हैं। (व्यवधान) आप करवा रहे हैं। (व्यवधान) आप दो-दो साल से भुगतान नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मोहम्मद अकबर :- पूरा आरोप असत्य है। कोई सबूत है तो रखिए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू जी।

नेता प्रतिपक्ष (श्री नारायण चंदेल) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, [XX] (व्यवधान)

डॉ. रश्मि आशिष सिंह :- महिला विधायक का प्रश्न नहीं आने दे रहे हैं। (व्यवधान) आप महिला अधिकारों की बात मत करिए। महिला विधायकों को बोलने नहीं दे रहे हो।

(पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाए गए।)

उपाध्यक्ष महोदय :- श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू जी। (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का उत्तर नहीं आया है, (व्यवधान) [XX] हम मंत्री जी के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन करते हैं।

---

[12] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

समय :

11:55 बजे

बहिर्गमन

शासन के उत्तर के विरोध में

(नेता प्रतिपक्ष (श्री नारायण चंदेल) के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया।)

उपाध्यक्ष महोदय :- श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू जी।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- रंजना, तहु ओपार जा ना, एखर बाद आ के प्रश्न कर लेबे। ओ पार जाना। (व्यवधान)

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- मंत्री जी, मैं आप ही के प्रश्न पर आ रही हूं। आप ही के लिए यहां बची हूं। (व्यवधान)

श्री कुलदीप जुनेजा :- एक बार बाहर हो गये हैं। (व्यवधान)

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- मैं सच्चाई के साथ हूं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये मैडम, आप सीधे मुझसे बात करिये। आप सीधे उनसे बात मत करिये।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- जी। (व्यवधान)

श्री गुलाब कमरो :- पार्टी विरोधी की कार्रवाई कर देंगे। (व्यवधान)

नगर पालिक निगम धमतरी के अंतर्गत अवैध प्लाटिंग प्लाटिंग पर कृत कार्यवाही

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

7. (*क्र .262) श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि -: **(क)** नगर पालिक निगम, धमतरी के अंतर्गत 01 अप्रेल 2020 से 30 जनवरी, 2023 तक किन किन स्थानों में अवैध प्लाटिंग रोकने की कार्यवाही की गई? कार्य स्थल का नाम, खसरा नम्बर, जमीन मालिक का नाम एवं अवैघ प्लाटिंग करने वालों के नाम संहित जानकारी देवें? उक्त स्थानों में कितने स्थानों पर शिकायत मिलने पर कार्यवाही की गई है? **(ख)** अवैघ प्लाटिंग रोकने में नगर पालिक निगम द्वारा क्या कार्यवाही की गई, जिससे उक्त भू-खंडो में दोबारा एवं नये भू-खंडो की अवैध प्लाटिंग नही की जा सके?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ .शिवकुमार डहरिया) **: (क)** नगर पालिक निगम, धमतरी के अंतर्गत 01 अप्रैल 2020 से 30 जनवरी, 2023 तक 09 स्थानों पर अवैध प्लाटिंग रोकने की कार्यवाही की गई। स्थल का नाम, खसरा नंबर, भूमि मालिक का नाम एवं अवैध प्लाटिंग करने वालों के नाम

सहित **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार**[13] **है**। **(ख)** अवैध प्लाटिंग रोकने नगर पालिक निगम द्वारा प्रपत्र में उल्लेखित सरल क्रमांक 01 से 06 तक के स्थानों पर मुरूम डालकर बनाए गए सड़क को तोड़कर मुरूम की जप्ती की कार्यवाही की गई तथा आम नागरिकों को उक्त चिन्हांकित स्थल में भूमि क्रय नहीं करने संबंधी सूचना बोर्ड भी लगाया गया है। शेष 03 स्थलों में अवैध प्लाटिंगकर्ताओं को अवैध प्लाटिंग रोकने व कार्यवाही किये जाने संबंधी सूचना पत्र (नोटिस) किया गया है। सभी अवैध प्लाटिंग कर्ताओं के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने हेतु सिटी कोतवाली धमतरी को लेख किया गया है।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, मेरे प्रश्न के जवाब में माननीय मंत्री जी ने लिखा है कि उन्होंने 09 स्थानों पर अवैध प्लाटिंग रोकने की कार्रवाई की गई है।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

उपाध्यक्ष महोदय :- मैडम, एक मिनट।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि क्या आपने इन 09 स्थानों के अलावा और कहीं पर अवैध प्लाटिंग रोकने की कार्रवाई की है ? यदि आपने उन स्थानों पर कार्रवाई की है तो क्या आपके पास उसकी जानकारी है ?

माननीय मंत्री जी, आप मुझे इसका उत्तर दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय :- दो मिनट।

श्री रामकुमार यादव :- थोड़ा बइठ जाओ।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा में प्रश्नोत्तर के दौरान इन्होंने जो आरोप लगया है या तो आप उसका सबूत पेश कीजिये या खेद व्यक्त कीजिये। नहीं तो फिर आगे की कार्यवाही नहीं होगी। पहले आप खेद व्यक्त कीजिए, नहीं तो कोई कार्यवाही नहीं होगी। (मेजों की थपथपाहट)

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूरी सेटिंग चल रही है। (व्यवधान)

श्री कवासी लखमा :- शिवरतन जी, आप खेद व्यक्त कीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप लोग शांत रहिये। (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- खेद व्यक्त करो। (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- आप चिंता मत करिये, सबूत ही नहीं मिलेंगे।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- शिवरतन शर्मा जी, खेद व्यक्त कीजिए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- बैठिये। मैंने व्यवस्था दे दी है। यदि कुछ होगा तो मैं उसको विलोपित करवा लूंगा। ठीक है। रंजना डीपेन्द्र साहू जी। (व्यवधान)

---

[13] परिशिष्ट "चार"

श्री मोहम्मद अकबर :- नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह विलोपित होना चाहिए। यह बिल्कुल गलत बात है। बिना सबूत के आप कोई चीज प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। यह विलोपित होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप सबूत बताइये। मंत्री जी कह रहे हैं।

श्री गुलाब कमरो :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह विलोपित होना चाहिए।

श्री मोहम्मद अकबर :- उसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- मैंने अपनी व्यवस्था दे दी है। आप लोग सहयोग करें। यह प्रश्नकाल है। केवल 2 मिनट बाकी है। आप सभी के कहने पर मैंने अपनी व्यवस्था दे दी है। आप लोग शांति से प्रश्न कीजिए। आप सभी शांत रहिये। मैंने अपनी व्यवस्था दे दी है। कृपया आप सभी प्रश्नकाल में सहयोग करेंगे। चलिये।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

सुश्री शकुंतला साहू :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह सबूत नहीं दे रहे हैं तो आप उनसे पूछिये। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- आप सभी बैठ जाइये। मैं खड़ा हो गया हूं, अब आप सभी बैठ जाइये। संसदीय प्रक्रिया में यह व्यवस्था ठीक नहीं है। (व्यवधान)

(व्यवधान के दौरान डॉ. विनय जायसवाल द्वारा कुछ कहने पर)

उपाध्यक्ष महोदय :- मैंने व्यवस्था दे दी है। मैं आप लोगों का विलोपित कर दूंगा। (व्यवधान)

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बोल रही हूं। मंत्री जी प्रायोजित तरीके से करते हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- नहीं, ऐसा नहीं है। देखिये, यह व्यवस्था ठीक नहीं है। अभी आपका प्रश्न है। बैठिये-बैठिये। (व्यवधान)

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- इनकी हिम्मत नहीं है। (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- आप ठीक से बात करो। (व्यवधान)

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- एकाध प्रश्न का तो जवाब दीजिए। आप प्रश्नकाल को बाधित करते हैं। यह तरीका अच्छा नहीं है। आपको जवाब देना पड़ेगा। समय नहीं है। उत्तर देने की हिम्मत नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त।

(प्रश्नकाल समाप्त)

अभिलेख/प्रकाशन के लिये नहीं

उपाध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही 12.30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(12.00 से 12.30 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही)

समय :

12:30 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)**

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी । (मेजों की थपथपाहट)

समय :

12:31 बजे **<u>वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक का उपस्थापन</u>**

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की जनता के स्नेह और आशीर्वाद से चार वर्ष पूर्व हमें छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा का जनादेश मिला था । तब मैंने इस सदन में कहा था कि जनता को हमसे अपार अपेक्षाएं हैं । उन अपेक्षाओं की कसौटी पर खरा उतरना ही हमारा लक्ष्य है । आज मुझे यह कहते हुए संतोष हो रहा है कि हम जनता की उम्मीदों पर खरे उतरे हैं (मेजों की थपथपाहट)

1. **"गढ़बो नवा छत्तीसगढ़"** के ध्येय वाक्य के साथ प्रदेश की प्रगति और खुशहाली के लिए इन चार वर्षों में हमने अभूतपूर्व निर्णय लिये हैं । देश और प्रदेश के इतिहास में 17 लाख, 96 हजार किसानों को 08 हजार 07 सौ 44 करोड़ की ऋण माफी का लाभ देने का काम केवल हमारी सरकार ने किया है । खरीफ 2018 की धान फसल के लिए किसानों को 06 हजार 22 करोड़ की प्रोत्साहन राशि भुगतान करने का काम हमारी सरकार ने किया है । (मेजों की थपथपाहट)

2. छत्तीसगढ़ की जनता से किये गए वादों को पूरा करने के लिए तमाम बाधाओं के बीच भी हम अपने निर्णय पर अडिग रहे । किसानों को उनकी उपज का उचित लाभ देने के लिए **राजीव गांधी किसान न्याय योजना** की शुरूआत की गयी । इसके तहत किसानों को प्रति एकड़ 09 हजार की अनुदान सहायता राशि देने का निर्णय लिया गया । खरीफ 2019 से लेकर अब तक 16 हजार 415 करोड़ की आदान सहायता राशि सीधे किसानों के खातों में भुगतान की जा चुकी है । (मेजों की थपथपाहट)

3. हमारी सरकार की न्याय योजनाओं से किसानों, मजदूरों, वन आश्रित परिवारों, महिलाओं और युवाओं सहित समाज के सभी वर्गों का सशक्तीकरण हुआ है । छत्तीसगढ़ी तीज-त्यौहार, ग्रामीण खेलकूद एवं लोक संस्कृति को पुन: सहेजकर हमने छत्तीसगढ़ महतारी का मान बढ़ाया है । नरवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी की चार चिन्हारी को आधार मानकर हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का प्रयास किया है। (मेजों की थपथपाहट)

4. हमारे लिए गौरव की बात है कि मात्र 04 वर्ष की अल्पावधि में हमारी सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर **छत्तीसगढ़ मॉडल** के रूप में पहचान मिली है । देश के अन्य राज्यों एवं भारत सरकार ने भी समय-समय पर इसे रेखांकित किया है । इसके लिए मैं प्रदेशवासियों को साधुवाद देना चाहता हूं जिन्होंने अपनी लगन और मेहनत से हमारी सोच को सही साबित करने का काम किया है ।

5. इस वर्ष पुराने कीर्तिमानों को तोड़ते हुए हमने सर्वाधिक धान खरीदी का नया कीर्तिमान रचा है । राज्य को सबसे ज्यादा लघु वनोपज की खरीदी करने वाले राज्य का गौरव भी हमें मिला है । **गोबर को गोधन** बनाने वाली हमारी **गोधन न्याय योजना** की बहु-हितकारी महत्व को भारत सरकार द्वारा भी सराहा और अपनाया जा रहा है ।

6. लघु धान्य फसलों कोदो-कुटकी-रागी का समर्थन मूल्य घोषित करने, इनके उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन आदि के लिए हमने जो कदम विगत वर्ष उठाये थे, वे इस वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्धारण का आधार बने हैं। वनोपज की खरीदी एवं प्रसंस्करण को बढ़ावा देकर वनवासियों को आर्थिक स्वावलम्बन देने की दिशा में भी सार्थक काम हुआ है।

7. सुखद पहलू यह है कि हमारे प्रयास अब भी निरंतर जारी हैं। **राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजूदर न्याय योजना** को इस वर्ष ग्रामीण क्षेत्र के साथ-साथ नगर पंचायत क्षेत्र के लिए भी विस्तार किए जाने की घोषणा करता हूं।(मेजों की थपथपाहट)

8. शिक्षित बेरोजगारों को **बेरोजगारी भत्ता** देने की नवीन योजना शुरू की जायेगी। रोजगार एवं पंजीयन केन्द्र मे पंजीकृत कक्षा 12वीं आयु 18 से 35 वर्ष के युवा, जिनके परिवार की वार्षिक आय 02 लाख 50 हजार से कम होगी, उन्हें अधिकतम 02 वर्ष तक **2500 रूपये प्रतिमाह** की दर से बेराजगारी भत्ता प्रदान करने की घोषणा करता हूं। इसके लिए 02 सौ 50 करोड़ रूपये का नवीन मद में प्रावधान रखा गया है।(मेजों की थपथपाहट)

9. निराश्रितों, बुजुर्गों, दिव्यांगों एवं विधवा तथा परित्यक्ता महिलाओं को **सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना** अन्तर्गत दी जाने वाली मासिक पेंशन की राशि 350 रूपये से बढ़ाकर 500 रूपये प्रतिमाह किए जाने की घोषणा करता हूं। (मेजों की थपथपाहट)

10. महिलाओं तथा बच्चों के पोषण एवं टीकाकरण हेतु प्रदेश भर में संचालित 46 हजार 660 आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दी जाने वाली मासिक मानदेय की राशि 6 हजार 500 रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 10 हजार रूपये प्रतिमाह किए जाने की घोषणा करता हूं। (मेजों की थपथपाहट) आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 03 हजार 250 रूपये से बढ़ाकर 05 हजार रूपये प्रतिमाह किए जाने की घोषणा करता हूं। (मेजों की थपथपाहट)

11. मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 04 हजार 500 रूपये से बढ़ाकर 07 हजार 500 रूपये प्रतिमाह किए जाने की घोषणा करता हूं। (मेजों की थपथपाहट)

12. गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहन से लेकर स्वास्थ्य विभाग की हर छोटी-बड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करने वाली मितानिन बहनों को पूर्व से दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त राज्य मद से 22 सौ रूपये प्रतिमाह की दर से मानदेय दिए जाने की घोषणा करता हूं। (मेजों की थपथपाहट)

13. ग्राम कोटवारों को सेवा भूमि के आकार के अनुसार अलग-अलग दरों पर मानदेय दिया जाता है। पूर्व प्रचलित मानदेय की राशि 22 सौ 50 रूपये को बढ़ाकर 03 हजार रूपये, 33 सौ 75 रूपये को बढ़ाकर 04 हजार 500 रूपये, 04 हजार 50 रूपये को बढ़ाकर 55 सौ रूपये एवं 4 हजार 500 रूपये को बढ़ाकर 06 हजार रूपये प्रतिमाह किए जाने की घोषणा करता हूं। (मेजों की थपथपाहट) ग्राम पटेल को दिए जा रहे 02 हजार रूपये मासिक मानदेय की राशि को बढ़ाकर 03 हजार रूपये किए जाने की घोषणा करता हूं। (मेजों की थपथपाहट)

14. मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अन्तर्गत स्कूलों में दोपहर का भोजन बनाने वाले रसोईयों को दी जा रही मानदेय की राशि रूपये 01 हजार 500 को बढ़ाकर 01 हजार 800 रूपये प्रतिमाह किए जाने की घोषणा करता हूं। (मेजों की थपथपाहट) विद्यालयों में कार्यरत स्वच्छता कर्मियों का मानदेय भी 25सौ रूपये से बढ़ाकर 28सौ रूपये प्रतिमाह किए जाने की घोषणा करता हूं।

15. राज्य के पर्व-त्यौहार, आपत्ति-विपत्ति एवं विभिन्न प्रशासनिक कार्यों के दौरान कानून व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग प्रदान करने वाले होमगार्ड के जवानों के मानदेय में न्यूनतम 06 हजार 300 रूपये से अधिकतम 06 हजार 420 रूपये प्रतिमाह की वृद्धि किए जाने की घोषणा करता हूं।

16. स्वावलम्बी गोठानों की संचालित समिति के अध्यक्ष को 750 रूपये एवं सदस्यों को 500 रूपये मानदेय दिए जाने की घोषणा करता हूं। इस मानदेय की पात्रता केवल अशासकीय सदस्यों को होगी।

17. **मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना** अन्तर्गत दी जाने वाली सहायता राशि को 25 हजार रूपये से बढ़ाकर 50 हजार रूपये किए जाने की घोषणा करता हूं। इसके लिए **38 करोड़** रूपये का प्रावधान है। (मेजों की थपथपाहट)

18. प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में आधुनिकतम एवं उच्च गुण्वत्ता की मूलभूत सुविधओं के विकास हेतु अधोसंरचना विकास के कार्यों को प्राथमिकता दी जायेगी । नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न शहरी अधोसंरचना निर्माण कार्यों के लिये **01 हजार करोड़** का प्रावधान है । (मेजों की थपथपाहट)

19. **महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क** की स्थापना के तर्ज पर शहरी क्षेत्र में भी औद्योगिक पार्क की स्थापना की जायेगी । औद्योगिक पार्कों में लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना के प्रोत्साहन हेतु **50 करोड़** का प्रावधान है। (मेजों की थपथपाहट)

20. प्रदेशवासियों को आवागमन हेतु सहज, सस्ता एवं आधुनिक साधन उपलब्ध कराने के लिये नवा रायपुर, अटल नगर से दुर्ग तक **लाईट मेट्रो** सेवा शुरू करने का प्रस्ताव है। (मेजों की थपथपाहट)

21. शासकीय शालाओं में प्रवेशित विद्यार्थियों को पब्लिक स्कूलों की भांति अंग्रेजी माध्यम से उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने के उद्येश्य से वर्ष 2020-2021 में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय योजना प्रारंभ की गई है । वर्तमान में 247 अंग्रेजी माध्यम एवं 32 हिन्दी माध्यम स्वामी आत्मानंद विद्यालयों में 02 लाख 38 हजार 961 छात्र-छात्रायें अध्ययनरत है । इस वर्ष 101 नवीन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है । इस योजना के लिये **8 सौ 70 करोड़** का प्रावधान है । (मेजों की थपथपाहट)

22. **मनेन्द्रगढ़, गीदम, जांजगीर-चांपा एवं कबीरधाम जिले में नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों** की स्थापना की जायेगी । बजट में इसके लिये 200 करोड़ का प्रावधान है । (मेजों की थपथपाहट)

23. कोरबा पश्चिम में नवीन ताप विद्युत गृह की स्थापना की जायेगी । बजट में इसके लिये 25 करोड़ का प्रावधान है ।

24. प्रदेशवासियों को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मूलभूत सुविधाओं सहित आजीविका के प्रचुर अवसर उपलब्ध कराने के लिये हमारी सरकार कृत संकल्पित है ।

<u>आर्थिक स्थिति</u>

25. अध्यक्ष महोदय, अब मैं राज्य की आर्थिक स्थिति का ब्यौरा सदन के सामने प्रस्तुत करता हूँ । राज्य के चालू वर्ष के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार स्थिर भाव पर वर्ष 2021-2022 की तुलना में चालू वर्ष के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में **08 प्रतिशत** वृद्धि का अग्रिम अनुमान है । जबकि इसी अवधि में भारत सरकार के सकल घरेलू उत्पाद में 7 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है ।

26. वर्ष 2022-2023 में स्थिर भाव पर कृषि क्षेत्र में भारत सरकार की अनुमानित वृद्धि दर 3.5 प्रतिशत की तुलना में राज्य में 5.93 प्रतिशत की दर से वृद्धि का अनुमान है । स्थिर भाव पर आद्योगिक क्षेत्र में भारत सरकार की अनुमानित वृद्धि दर 4.1 प्रतिशत की तुलना में राज्य में 7.83 प्रतिशत की दर से वृद्धि का अनुमान है । स्थिर भाव पर सेवा क्षेत्र में भारत सरकार की अनुमानित वृद्धि दर 9.1 प्रतिशत की तुलना में राज्य में 9.21 प्रतिशत की दर से वृद्धि का अनुमान है । **इस प्रकार कृषि, उद्योग एवं सेवा तीनों ही क्षेत्र में राज्य की वृद्धि दर केन्द्र से अधिक अनुमानित है ।**

27. प्रचलित भाव पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2021-22 में 04 लाख 06 हजार 416 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 04 लाख 57 हजार 608 करोड़ होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में **12.60 प्रतिशत** अधिक है ।

28. वर्ष 2021-2022 में प्रति व्यक्ति आय 01 लाख 20 हजार 704 रूपये की तुलना में वर्ष 2022-2023 में 01 लाख 33 हजार 898 रूपये होने का अनुमान है, जो कि गत वर्ष की तुलना में **10.93 प्रतिशत** अधिक है ।

29. वर्ष 2022-23 के राज्य बजट में केन्द्रीय करों एवं केन्द्रीय सहायता अनुदान मद में कुल 44 हजार 573 करोड़ का प्रावधान रखा गया था । वर्ष 2023-2024 के केन्द्रीय बजट को देखते हुए इस वर्ष राज्य के बजट में कुल 49 हजार 800 करोड़ की राशि केन्द्र से प्राप्त होने का अनुमान है ।

30. वर्ष 2022-2023 के बजट में राज्य के स्वयं के कर एवं करेत्तर राजस्व से कुल 44 हजार 500 करोड़ की प्राप्ति का अनुमान था । वर्ष 2023-2024 में राज्य के राजस्व स्त्रोतों से 56 हजार 200 करोड़ प्राप्त होने का अनुमान है । इस प्रकार केन्द्रीय प्राप्तियों में **11.73 प्रतिशत** एवं राज्य के राजस्व प्राप्तियों में 26.30 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है ।

<u>कृषि एवं किसान कल्याण</u>

31. अध्यक्ष महोदय, मुझे कहते हुए संतोष हो रहा है कि **"धान का कटोरा"** के रूप में प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ राज्य को हमने **"धन का कटोरा"** होने का गौरव दिलाया है। (मेजों की थपथपाहट) खरीफ 2017 में 12 लाख किसानों से उपार्जित 17 लाख मीट्रिक टन धान की तुलना में खरीफ 2022 में **23 लाख 42 हजार** किसानों से **107 लाख मीट्रिक टन** धान उपार्जित किया गया है। इस प्रकार विगत 04 वर्षों के दौरान धान विक्रय करने वाले किसानों की संख्या में **11 लाख 42 हजार** की वृद्धि एवं उपार्जित धान की मात्रा में **50 लाख मीट्रिक टन** की वृद्धि दर्ज की गई है।

32. खरीफ 2022 के लिये **राजीव गांधी किसान न्याय योजना** अंतर्गत 26 लाख 41 हजार किसानों द्वारा **34 लाख 06 हजार हेक्टेयर** से अधिक रकबे का पंजीयन कराया गया है। इन किसानों को आदान सहायता राशि वितरण हेतु वर्ष 2023-24 के बजट में **6 हजार 800 करोड़** राशि का प्रावधान है। (मेजों की थपथपाहट)

33. गन्ना उत्पादन किसानों को भी प्रति वर्ष प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जा रहा है। इसके लिये **60 करोड़** का प्रावधान है।

34. नवा रायपुर अटल नगर में **60 करोड़** की लागत से **कृषि एवं किसान कल्याण भवन** के निर्माण हेतु प्रावधान है।

35. किसानों को गुणवत्तायुक्त रासायनिक एवं जैविक खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये **राजनांदगांव** एवं **रायगढ़ जिले** में **नवीन उर्वरक गुण प्रयोगशाला** की स्थापना की जायेगी। रायपुर स्थित प्रयोगशाला के लिये अतिरिक्त सेटअप सृजन करने का प्रावधान है।

36. रासायनिक एवं जैविक कीटनाशकों की गुणवत्ता परीक्षण हेतु रायपुर में नवीन प्रयोगशाला की स्थापना का प्रावधान है। इन सभी प्रयोगशालाओं को एन.ए.बी.एल. से सम्बद्धता दिलाने हेतु पृथक से बजट भी रखा गया है।

37. उद्यानिकी से संबंधित आधुनिक तकनीकों के प्रदर्शन हेतु नवा रायपुर, अटल नगर में **सेंटर ऑफ एक्सीलेन्स** की स्थापना की जायेगी। इसके लिये नवीन मद में **02 करोड़ 51 लाख** का प्रावधान है।

38. विकासखण्ड मुख्यालय गंडई में कृषकों को उद्यानिकी फसलों की गुणवत्तापूर्ण पौध रोपण उपलब्ध कराने हेतु **हाईटेक नर्सरी** एवं छुईखदान में **पान अनुसंधान केंद्र** की स्थापना एवं भवन निर्माण हेतु नवीन मद में **02 करोड़ 50 लाख** का प्रावधान है।

39. राजपुर विकासखण्ड धमधा में **शासकीय बीज प्रगुणन प्रक्षेत्र** की स्थापना हेतु नवीन में **01 करोड़ 57 लाख** का प्रावधान है।

40. शासकीय कृषि महाविद्यालय गरियाबंद में महाविद्यालय भवन एवं बालक- बालिकाओं के छात्रावास निर्माण हेतु नवीन मद में **02 करोड़** का प्रावधान है। (मेजों की थपथपाहट)

41. ग्राम आलीवारा, जिला-राजनांदगांव एवं ग्राम केवरा, जिला-सरगुजा में **किसान सुविधा केन्द्र** की स्थापना के लिये नवीन मद में **35 लाख** का प्रावधान है।

42. **राज्य स्तरीय कृषि यंत्र परीक्षण प्रयोगशाला, रायपुर** के भवन निर्माण हेतु नवीन मद में **20 लाख** का प्रावधान है।

43. **सीड लॉ एन्फोर्समेन्ट** के लिये रायपुर में नवीन प्रयोगशाला की स्थापना की जायेगी।

44. 05 नये जिलों में **उप संचालक, कृषि कार्यालय** की स्थापना तथा दंतेवाड़ा, नारायणपुर, सुकमा, दुर्ग एवं मुंगेली में **अनुविभागीय अधिकारी, कृषि कार्यालय** की स्थापना की जायेगी।

<u>पशु चिकित्सा</u>

45. ग्राम दतरेंगा, जिला-रायपुर में पशुधन के उपचार एवं देख-भाल हेतु **राज्य पशु गृह एवं पशु-रूग्णावास** की स्थापना की जायेगी। इसके सेटअप एवं अधोसंरचना निर्माण के लिये नवीन मद में **02 करोड़ 18 लाख 50 हजार** का प्रावधान है।

46. 25 नये पशु औषधालय दुधली जिला-बालोद, सुहेला एवं बालपुर जिला-बलौदाबाजार, खोडरी जिला-गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, दैहान, उमरवाही एवं सोनेसरार जिला-राजनांदगांव, सिल्ली एवं नोनबिर्रा जिला-कोरबा, बकरकट्टा जिला-खैरागढ़- छुईखदान-गंडई, टेमरा जिला-जांजगीर चांपा, फुण्डा जिला-दुर्ग, जुनवानी जिला-कबीरधाम, मौहाभाटा एवं खाती जिला-बेमेतरा, घाटलोहंगा, मधोता, लावागांव मोहलई, छोटे देवड़ा एवं सिरिसगुड़ा जिला-बस्तर, बड़ाबदामी एवं गगोली जिला-सरगुजा, मिरतुर जिला-बीजापुर, छतरंग जिला-

सूरजपुर तथा भवरमाल जिला-बलरामपुर में खोलना प्रस्तावित है। इसके लिए नवीन मद में **02 करोड़ 85 लाख** का प्रावधान है। (मेजों की थपथपाहट

47. 14 पशु औषधालय रिसाली, अण्डा, सेलुद, जिला-दुर्ग, परपोड़ी जिला-बेमेतरा, सारागांव जिला-जांजगीर चांपा, सेमरा जिला-धमतरी रतनभाट जिला-राजनांदगांव, बतरा एवं शिवप्रसाद नगर जिला-सूरजपुर, महारानीपुर, राजापुर एवं मंगारी जिला-सरगुजा, सामरी एवं त्रिकुण्डा जिला-बलरामपुर को पशु चिकित्सालयों में उन्नयन किए जाने हेतु 42 पदों के सृजन का प्रावधान है।

48. 17 नवीन **पशु रोग अनुसंधान प्रयोगशालाओं** की स्थापना जिला-बलौदाबाजार, बालोद, बेमेतरा, मुंगेली, गौरेला-पेण्ड्रा-महवाही, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, सांरगढ़-बिलाइर्दगढ़, मोहला-मानपुर-अंबागगढ़ चौकी, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भतरपुर, सक्ती, गरियाबंद, बलरामपुर, सूरजपुर, कोण्डागांव, सुकमा, बीजापुर एवं नारायणपुर में की जायेगी।

49. पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, बिलासपुर में **पशुधन फार्म कॉम्पलेक्स** एवं अन्य कार्यों हेतु नवीन मद में **05 करोड़** का प्रावधान है।(मेजों की थपथपाहट)

<u>मछली पालन</u>

50. ग्राम किकिरमेटा, जिला-दुर्ग, ग्राम दुब्बाटोटा जिला-सुकमा एवं बालोद में **03 नवीन मत्स्य प्रक्षेत्र एवं हेचरी** की स्थापना की जायेगी।

51. मत्स्य महाविद्यालय,कवर्धा में बाउंड्रीवाल तथा आंतरिक सड़क निर्माण हेतु नवीन मद में **02 करोड़** का प्रावधान है।

<u>जल संसाधन</u>

52. सिंचाई परियोजनाओं की क्षमता के अनुरूप वास्तविक सिंचाई का लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए प्रबंधन की कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया है, जिसके आशातीत परिणाम मिले हैं। मार्च 2018 की स्थिति में वास्तविक सिंचाई औसतन 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हो पाती थी, जो दिसंबर 2022 की स्थिति में बढ़कर 13 लाख 05 हजार 451 हेक्टेयर हो गयी है। (मेजों की थपथपाहट)

53. वर्ष 2023-24 के बजट में वृहद सिंचाई योजना के 218, मध्यम सिंचाई योजना के 75, लघु सिंचाई योजना के 840, एनीकट-स्टॉप डैम के 598 तथा बाढ़ नियंत्रण संबंधी 256 नवीन कार्यों के लिए प्रावधान है।(मेजों की थपथपाहट)

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण

54. धान के उठाव एवं कस्टम मिलिंग संबंधी कार्यों को समय-सीमा में सुगमतापूर्वक संपन्न करने की दृष्टि से सी.एम.आर. में वृद्धि की गई है। राज्य सहकारी विपणन संघ को इस राशि की प्रतिपूर्ति हेतु **01 हजार करोड़** का प्रावधान है।

55. खाद्यान्न वितरण कार्य हेतु नियुक्त डीलर्स के प्रोत्साहन हेतु **पी.डी.एस. डीलर्स मार्जिन योजना** में गत वर्ष के 101 करोड़ के प्रावधान को बढ़ाकर इस वर्ष 02 सौ 21 करोड़ का प्रावधान है।

56. खाद्यान्न सुरक्षा के साथ-साथ स्वाद एवं पोषण को ध्यान में रखते हुए चना प्रदाय योजना की राशि 01 सौ 71 करोड़ से बढ़ाकर **03 सौ 61 करोड़,** शक्कर वितरण की राशि 100 करोड़ से बढ़ाकर **01 सौ 24 करोड़** एवं आयोडाइज्ड नमक वितरण की राशि 49 करोड़ से बढ़ाकर **94 करोड़** का प्रावधान है।

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी

57. सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए **निवेश प्रोत्साहन योजना** में विगत वर्ष के बजट प्रावधान 11 करोड़ की तुलना में इस वर्ष **26 करोड़** का प्रावधान है।

सामान्य प्रशासन

58. चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में नवीन **छत्तीसगढ़ भवन** की व्यवस्था हेतु नवीन मद में **28 करोड़ 26 लाख** का प्रावधान है।

59. विभिन्न योजनाओं का अध्ययन एवं मूल्यांकन करके बेहतर एवं त्वरित परिणाम देने वाले नवाचारों को लागू करने के संबंध में अनुशंसा प्रस्तुत करने के लिए **नवाचार आयोग** का गठन किया गया है।

वाणिज्य कर (स्टाम्प एवं पंजीयन)

60. सरायपाली, पिथौरा एवं बसना जिला-महासमुंद, भाटापारा जिला-बलौदाबाजार, आरंग जिला-रायपुर, पंडरिया एवं बोडला जिला-कबीरधाम, राजपुर जिला-बलरामपुर एवं भिलाई-3 जिला-दुर्ग स्थित उप पंजीयक कार्यालयों के भवन निर्माण हेतु प्रावधान है।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन

61. 07 नवीन तहसीलों भोथिया जिला-सक्ती, कुकदुर जिला-कबीरधाम, बागबहार जिला-जशपुर, दाढ़ी जिला-बेमेतरा, सरसींवा जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़, कुमरदा जिला- राजनांदगांव एवं फिंगेश्वर जिला-गरियाबंद का गठन किया जायेगा। इस हेतु 98 नवीन पदों के सृजन का प्रावधान है।(मेजों की थपथपाहट)

62.	अंतागढ़, कटघोरा एवं सराईपाली में अपर कलेक्टर कार्यालय तथा 07 नवीन राजस्व अनुभाग कार्यालय उदयपुर जिला-सरगुजा, केल्हारी जिला-मनेन्द्रगढ़-भरतपुर-चिरमिरी, शंकरगढ़ जिला-बलरामपुर, फरसाबहार जिला-जशपुर, बसना जिला-महासमुंद, छुरा जिला-गरियाबंद एवं पलारी जिला-बलौदाबाजार में प्रारंभ किये जायेंगे। इस हेतु 70 नवीन पदों के सृजन का प्रावधान है।

63.	**ई-धरती परियोजना** अंतर्गत राजस्व भूमि का अत्याधुनिक लीडार तकनीक के माध्यम से पुन: सर्वेक्षण हेतु **50 करोड़** का प्रावधान है।

64.	प्रदेश के समस्त तहसील कार्यालयों में सुरक्षा की दृष्टि से **सी.सी.टी.वी. कैमरा** लगाये जाने हेतु नवीन मद से **02 करोड़ 20 लाख** का प्रावधान है।

65.	जिला अभिलेखागारों के आधुनिकीकरण हेतु नवीन मद में **03 करोड़** का प्रावधान है।

66.	जिला रायपुर में कम्पोजिट बिल्डिंग निर्माण एवं कलेक्टर भवन के उन्नयन कार्य हेतु नवीन मद में **10 करोड़** का प्रावधान है।

67.	शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर में नवीन मशीनों के क्रय हेतु नवीन मद में **02 करोड़ 60 लाख** का प्रावधान है।

<u>धार्मिक न्याय एवं धर्मस्व</u>

68.	**राजिम माघी पुन्नी मेला** के आयोजन हेतु नवीन मेला स्थल पर नागरिक सुविधाओं के विकास तथा मंदिर एवं अन्य स्थलों के जीर्णोद्धार व निर्माण कार्यों के लिए नवीन मद में **20 करोड़ 73 लाख** का प्रावधान है। (मेजों की थपथपाहट)

69.	**छत्तीसगढ़ कल्चरल कनेक्ट योजना** के तहत अन्य राज्यों में स्थित तीर्थस्थलों के भ्रमण के दौरान राज्य के नागरिकों की सुविधा के लिए **छत्तीसगढ़-जननिवास भवन** के निर्माण का प्रावधान है।

<u>स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण</u>

70.	दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों में **मोबाइल मेडिकल यूनिट** की स्थापना हेतु **05 करोड़** का प्रावधान है।

71.	डॉ. भीमराव अंबेडकर अस्पताल, रायपुर में 700 बिस्तर क्षमता वाले **एकीकृत चिकित्सालय** की स्थापना हेतु **85 करोड़** का प्रावधान है।(मेजों की थपथपाहट)

72.	चिकित्सा महाविद्यालयों से संबंद्ध अंबिकापुर, कोरबा, कांकेर, जगदलपुर, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़ एवं महासमुंद के अस्पतालों में **ई-चिकित्सालय की स्थापना** हेतु 50 पदों का सेटअप एवं सूचना प्रौद्योगिकी कार्यों के लिए **07 करोड़ 50 लाख** का प्रावधान है।

73.	सिविल अस्पताल **धरमजयगढ़** तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र **चिरमिरी**, **कुसमी, वाड्रफनगर** एवं **सीतापुर** को 100 बिस्तर अस्पताल में उन्नयन हेतु कुल 470 पदों के सृजन का प्रावधान रखा गया है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

दल्लीराजहरा जिला-बालोद एवं **सारंगढ़** में नवीन 100 बिस्तर अस्पताल की स्थापना हेतु 246 पदों के सृजन का प्रावधान है।

74. रायपुर एवं अंबिकापुर में **नवीन मानसिक चिकित्सालय** की स्थापना हेतु 274 पदों के सृजन एवं भवन निर्माण हेतु नवीन मद में **02 करोड़** का प्रावधान है।

75. **डौण्डीलोहारा जिला बालोद, नवागढ़ जिला बेमेतरा, घरघोड़ा जिला- रायगढ़ एवं साल्हेवारा जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गंडई** में **50 बिस्तर अस्पताल** की स्थापना हेतु 119 पदों के सृजन का प्रावधान है।

76. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र **गिरौदपुरी** जिला-बलौदाबाजार, **राजपुर** जिला-रायगढ़, **इंदौरी** जिला कबीरधाम, **मारो** जिला-बेमेतरा, **पोड़ी** जिला- कोरिया को **30 बिस्तर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र** में उन्नयन के लिए कुल 185 पदों के सृजन का प्रावधान है। **आस्ता** जिला-जशपुर, **कौरगांव** जिला- दंतेवाड़ा में नवीन **30 बिस्तर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र** की स्थापना के लिए 74 पदों के सृजन का प्रावधान है।

77. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र **कुसुमकसा**, जिला बालोद एवं **भानबेड़ा** जिला-कांकेर को **20 बिस्तर अस्पताल** में उन्नयन के लिए 36 पदों के सृजन का प्रावधान है।

78. **इन्दागांव** जिला गरियाबंद, **घटगांव, धौराभांठा** एवं **बसंतपुर** जिला-रायगढ़, **सकर्री** जिला- जांजगीर-चांपा एवं **आमाटोला** जिला-मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में **नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र** तथा **अमलीडीह** विकासखंड घरघोड़ा एवं ग्राम **नवापारा** विकासखण्ड- पुसौर जिला- रायगढ़ के उप स्वास्थ्य केन्द्रों का उन्नयन कर **प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र** की स्थापना हेतु 96 पदों के सृजन का प्रावधान है।

79. 50 बिस्तर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र **साजा** जिला बेमेतरा, 50 बिस्तर मातृ एवं शिशु अस्पताल **कुनकुरी** जिला-जशपुर, 30 बिस्तर अस्पताल **नैमेड़** जिला- बीजापुर एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र **कठानी** जिला-रायगढ़ के भवन निर्माण हेतु नवीन मद में प्रावधान है।

<u>लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी</u>

80. **जल जीवन मिशन योजना** के तहत 49 लाख ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित है। अब तक 20 लाख ग्रामीण परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है। शेष परिवारों तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए **02 हजार करोड़** का प्रावधान राज्यांश की राशि के लिए किया गया है।

<u>नगरीय प्रशासन</u>

81. भवनों के नियमितीकरण से प्राप्त आय में से नगरीय निकायों को प्रोत्साहन अनुदान देने के लिए **03 करोड़** का प्रावधान है।

82. नगरीय क्षेत्रों में स्थित शासकीय भवनों में **रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम** की स्थापना हेतु **25 करोड़** का प्रावधान है।

ऊर्जा

83. **पी.एम. कुसुम योजना** के अंतर्गत ग्रिड के माध्यम से ऊर्जीकृत कृषि पम्प फीडर को सौर ऊर्जा से जोड़ने के लिये 810 मेगावॉट (डी.सी. क्षमता)/ 675 मेगावॉट (ए.सी. क्षमता) के सोलर पावर प्लांट की स्थापना की जायेगी। इसके लिए **50 करोड़** का प्रावधान है।

84. सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए **सौर सुजला योजना** अंतर्गत सोलर सिंचाई पम्प की स्थापना हेतु **600 करोड़** रूपये का प्रावधान है।

85. **रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम** अंतर्गत अधोसंरचना एवं आई.टी.ओ.टी. कार्यों हेतु **46 करोड़** का प्रावधान है।

वन एवं जलवायु परिवर्तन

86. भू-जल एवं जल संरक्षण कार्य योजना अंतर्गत अत्याधुनिक **लीडार तकनीकी** के माध्यम से भू-जल सर्वेक्षण कार्य हेतु **187 करोड़** का प्रावधान है।

87. निजी भूमि पर वाणिज्यिक वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने हेतु **मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना** प्रारंभ की जाएगी। इसके लिए नवीन मद में **100 करोड़** का प्रावधान है।

88. कबीरधाम में **नवीन जंगल सफारी** के निर्माण हेतु **02 करोड़** एवं जंगल सफारी, नवा रायपुर के उन्नयन हेतु **11 करोड़** का प्रावधान है।

89. **छत्तीसगढ़ राज्य आद्र-भूमि प्राधिकरण** की स्थापना हेतु **10 करोड़** का प्रावधान है।

90. लघु वनोपज कार्यों हेतु वनोजप संघ को अनुदान हेतु **20 करोड़** रूपये का प्रावधान है।

महिला एवं बाल विकास

91. महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए **कौशल समृद्धि योजना** प्रारंभ की जाएगी। इसके लिए नवीन मद में **25 करोड़** का प्रावधान है। (मेजों की थपथपाहट)

92. बाल संप्रेक्षण गृह से बाहर जाने की आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करते हुए इनके पुनर्वास हेतु **मुख्यमंत्री बाल उदय योजना** प्रारंभ की जाएगी। इसके लिए 01 करोड़ का प्रावधान है।

93. **यूनिफाईड डिजिटल एप्लीकेशन योजना** के अंतर्गत प्रारंभिक सर्वेक्षण एवं डी.पी.आर. तैयार करने हेतु **05 करोड़** रूपये का प्रावधान है।

ग्राम पंचायत एवं ग्रामीण विकास

94. **प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)** के तहत अब तक 8 लाख 42 हजार 289 आवास पूर्ण हो चुके हैं। भारत सरकार से प्राप्त लक्ष्य के अनुरूप 02 लाख 30 हजार ग्रामीण आवास के निर्माण हेतु वर्ष 2023-24 में **03 हजार 02 सौ 38 करोड़** का प्रावधान है। (मेजों की थपथपाहट)

95. **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना** के तहत निर्मित सड़कों के संधारण हेतु **05 सौ** करोड़ का प्रावधान है।

96. ग्राम पंचायत क्षेत्र में निर्मित शासकीय भवनों में **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम** की स्थापना हेतु 50 करोड़ का प्रावधान है। (मेजों की थपथपाहट)

97. राज्य के गैर अनुसूचित क्षेत्र में छत्तीसगढ़ी पर्व एवं त्यौहारों के गरिमामयी आयोजन हेतु **मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी परब सम्मान निधि योजना** प्रारंभ की जायेगी। इसके तहत ग्राम पंचायतों को अनुदान दिये जाने हेतु **05 करोड़** का प्रावधान है।

98. प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण नीति के तहत प्रदेश में नये जिलों के निर्माण को प्राथमिकता दी गई है। नये जिलों में काम-काज के सुचारू संचालन हेतु प्रति विकासखण्ड **01 करोड़** के मान से अधोसंरचना निर्माण कार्यों के लिए **15 करोड़** का प्रावधान है।

स्कूल शिक्षा

99. कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम हेतु जारी प्रोटोकॉल के तहत शैक्षणिक संस्थाओं में बच्चों की उपस्थिति पर रोक के कारण प्रारंभिक शिक्षा में अधिगम के स्तर की कमी को देखते हुए विश्व बैंक के समर्थन से **चॉक (CHALK) परियोजना** प्रारंभ की जा रही है। इस योजना में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार का काम किया जायेगा। इसके लिए **04 सौ करोड़** का प्रावधान है।

100. प्रदेश की शालाओं में उच्च स्तर की अधोसंरचनात्मक सुविधाएं विकसित करने के लिए **मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना** शुरू की जायेगी। इसके लिए **05 सौ करोड़** का प्रावधान है। (मेजों की थपथपाहट)

101. शिक्षकों में पढ़ने-पढ़ाने के उचित कौशल विकास हेतु नवा रायपुर, अटल नगर में राष्ट्रीय स्तर का **शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान** खोलने के लिए **01 करोड़** का प्रावधान है।

102. मेडिकल एवं इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश परीक्षा के पूर्व कोचिंग हेतु कोटा राजस्थान जाने वाले राज्य के विद्यार्थियों की सुविधा के लिए कोटा में छात्रावास निर्माण हेतु प्रावधान है। (मेजों की थथपाहट)

103. 07 प्राथमिक शालाओं को पूर्व माध्यमिक शाला में, 08 पूर्व माध्यमिक शालाओं को हाई स्कूल में तथा 17 हाई स्कूलों को हायर सेकेण्डरी विद्यालय में उन्नयन किया जाएगा।

104. 13 प्राथमिक शाला, 05 पूर्व माध्यमिक शाला, 10 हाई स्कूल एवं 18 हायर सेकेण्डरी स्कूल के भवन निर्माण हेतु **30 करोड़** का प्रावधान है।

आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास

105. छात्रावास-आश्रम एवं प्रयास विद्यालयों में रहकर अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को दी जाने वाली **शिष्यवृत्ति की राशि** 1000 रूपये प्रतिमाह को बढ़ाकर **1500 रूपये प्रतिमाह** किया जाएगा। (मेजों की थपथपाहट)

106. पोस्ट मेट्रिक छात्रावास के विद्यार्थियों को **भोजन सहाय योजना** में दी जाने वाली 700 रूपये प्रति माह की राशि को बढ़ाकर **1200 रूपये प्रति माह** किया जायेगा।

107. आदिवासी पर्व एवं त्यौहारों के गरिमामयी आयोजन हेतु मुख्यमंत्री आदिवासी **परब सम्मान निधि योजना** प्रारंभ की जायेगी। इसके तहत् ग्राम पंचायतों को अनुदान दिये जाने हेतु **5 करोड़** का प्रावधान है। (मेजों की थपथपाहट)

108. मेडिकल, इंजीनिरिंग एवं अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु **मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना** प्रारंभ की जायेगी। (मेजों की थपथपाहट)

109. प्रत्येक संभाग मुख्यालयों एवं रायगढ़ तथा राजनांदगांव जिलों में 100-100 सीटर बालक एवं बालिका छात्रावास अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए खोले जायेंगे। इस हेतु **13 करोड़** का प्रावधान है। (मेजों की थपथपाहट)

110. **वन अधिकार अधिनियम** के बेहतर क्रियान्वयन हेतु ग्राम वन समितियों के सशक्तीकरण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है। इस हेतु **5 करोड़** का प्रावधान है।

111. विभागीय छात्रावास एवं आश्रमों में अधोसंरचनात्मक सुविधाएं विकसित करने के लिए **100 करोड़** का प्रावधान रखा गया है। छात्रावास एवं विशिष्ट शिक्षण संस्थानों में सुरक्षा की दृष्टि से सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाने के लिए **4 करोड़** का प्रावधान है।

जनसंपर्क विभाग

112. पत्रकारों को निजी आवास निर्माण में सहयोग हेतु **पत्रकार गृह निर्माण ऋण अनुदान योजना** प्रारंभ की जायेगी। इसके तहत् 25 लाख रूपये तक के आवास ऋण पर ब्याज अनुदान दिया जायेगा। इसके लिए **50 लाख** रूपये का प्रावधान है। (मेजों की थपथपाहट)

पुलिस प्रशासन

113. **डायल-112 योजना** को पूरे राज्य में विस्तार करने हेतु 69 पदों के सृजन का प्रावधान है तथा 400 नग हल्का वाहन क्रय करने हेतु **33 करोड़** का प्रावधान है।

114. ग्राम चपले जिला-रायगढ़ महादेवडांड जिला-जशपुर, पोड़ी-बचरा, जिला-कोरिया, हल्दी जिला-बालोद, सुकुलदैहान जिला-राजनांदगांव, छपोरा जिला-सक्ती, रणजीतपुर, जिला-कबीरधाम में नवीन पुलिस चौकी की स्थापना किये जाने हेतु 231 पदों के सृजन का प्रावधान है।

115. ग्राम टिकनपाल एवं सुरनार जिला-दंतेवाड़ा, स्मृतिनगर (भिलाई) जिला-दुर्ग तथा मोपका एवं मंगला जिला-बिलासपुर में नवीन पुलिस थाना एवं बिन्द्रानवागढ़ जिला- गरियाबंद, बिरेझर जिला-धमतरी, बेलगहना जिला-बिलासपुर में पूर्व स्वीकृत चौकी का पुलिस थानों में उन्नयन किये जाने हेतु 479 पदों के सृजन का प्रावधान है।

116. कटघोरा जिला-कोरबा एवं अंतागढ़ जिला-कांकेर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय तथा शिवरीनारायण जिला-जांजगीर-चांपा में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कार्यालय की स्थापना हेतु 18 पदों के सृजन का प्रावधान है।

117. रायपुर, बिलासपुर एवं दुर्ग में नये साइबर थाना की स्थापना एवं रेंज मुख्यालयों पर अधिसूचित 05 साइबर थानों के लिए 138 पदों के सृजन का प्रावधान है।

118. विशेष आसूचना शाखा एवं अपराध अनुसंधान शाखा पुलिस मुख्यालय हेतु 59 पद, राज्य पुलिस अकादमी चंदखुरी हेतु 23 पदों के सृजन का प्रावधान है।

119. 10 पुलिस चौकी एवं 10 पुलिस थानों के भवन निर्माण का प्रावधान किया गया है। बिलासपुर, कोरिया तथा रायगढ़ जिलों में पुलिस अधीक्षक कार्यालय भवन निर्माण किया जायेगा। इसके लिए **12 करोड़** का प्रावधान है।

120. बस्तर, कोण्डागांव, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कांकेर एवं नारायणपुर में **आमचो बस्तर पुलिस कैन्टीन** के भवन निर्माण हेतु **1 करोड़ 40 लाख** का प्रावधान है।

121. पुलिस विभाग के कार्य कुशलता में वृद्धि के लिए विभिन्न कार्यालयों हेतु आवश्यक नवीन उपकरण इत्यादि की व्यवस्था की जायेगी। इसके लिए **91 करोड़ 92 लाख रूपये** का प्रावधान है।

122. पुलिस विभाग में 03 भारी वाहन, 03 मध्यम वाहन, 18 हल्का वाहन के क्रय हेतु **1 करोड़ 94 लाख रूपये** का प्रावधान है।

123. कुम्हारी जिला-दुर्ग में **स्मार्ट थाना** एवं जिला दंतेवाड़ा में **महिला थाना भवन** निर्माण का प्रावधान है।

<u>विमानन</u>

124. बैकुंठपुर में नवीन हवाई पट्टी का विकास तथा कोरबा में व्यावसायिक हवाई अड्डा के विकास हेतु नवीन मद में प्रावधान है। (मेजों की थपथपाहट)

परिवहन

125. दंतेवाड़ा, मुंगेली, जशपुर एवं बलौदाबाजार में जिला परिवहन कार्यालयों के भवन तथा 11 चेक पोस्ट के भवन निर्माण हेतु **11 करोड़ 70 लाख रूपये** का प्रावधान है। (मेजों की थपथपाहट)

विधि एवं विधायी कार्य

126. 57 नवीन न्यायालयों की स्थापना की जायेगी। इसके लिए 360 पदों के सृजन सहित आवर्ती एवं अनावर्ती व्यय हेतु **23 करोड़ 25 लाख रूपये** का प्रावधान है।

127. जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण किया जायेगा। इसमें कम्प्यूटर क्रय एवं अन्य कार्यों के लिए **13 करोड़ 76 लाख रूपये** का प्रावधान है।

खेल एवं युवक कल्याण

128. खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्धाओं का आयोजन एवं खिलाड़ियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था हेतु **05 करोड़** का नवीन मद में प्रावधान है ।

129. **तीरंदाजी** को **राजकीय खेल** के तौर पर प्रोत्साहित करने के लिए बस्तर एवं रायपुर में **तीरंदाजी खेल अकादमी** की स्थापना की जाएगी । (मेजो की थपथपाहट) नारायणपुर में **खम्बमल अकादमी** एवं रायपुर में **अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खेल अकादमी** की स्थापना की जाएगी ।

130. जिला बस्तर में **एडवेंचर स्पोर्ट्स अकादमी** की स्थापना एवं ग्राम सलियाटोली विकासखंड-कुनकुरी में एडवेंचर स्पोर्ट्स सुविधाओं के विकास हेतु नवीन मद में **03 करोड़ 70 लाख** का प्रावधान है ।

131. प्रदेश में परम्परागत् खेलों को बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष **छत्तीसगढ़िया ओलंपिक** के आयोजन की शुरूआत की गई है । इन खेलों के प्रति स्थानीय लोगों के रूझान एवं उत्साह को देखते हुए आगामी वर्ष में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के आयोजन हेतु **25 करोड़** का प्रावधान है (मेजो की थपथपाहट) ।

वाणिज्य एवं उद्योग

132. **छत्तीसगढ़ औद्योगिक नीति (2019 से 2024)** के अंतर्गत औद्योगिक इकाईयों को Be-spoke policy के तहत् अतिरिक्त पूंजी निवेश की प्रतिपूर्ति हेतु **150 करोड़** का प्रावधान है ।

133. औद्योगिक क्षेत्र उरला में प्लास्टिक पार्क की स्थापना से संबंधित निर्माण कार्यों के लिए **2 करोड़** का प्रावधान है ।

संस्कृति एवं पर्यटन

134. प्राचीन स्मारकों की सुरक्षा एवं संरक्षण के प्रति जन जागरूकता विकसित करने एवं समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से युवा पीढ़ी का परिचय कराने के लिए **मुख्यमंत्री धरोहर दर्शन योजना** प्रारंभ की

जाएगी । इसके अंतर्गत राज्य संरक्षित स्मारक स्थलों पर **धरोहर मित्र** नियुक्त किये जाएंगे तथा शैक्षणिक संस्थाओं के विद्यार्थियों को अनुदान की सुविधा दी जाएगी ।

135. प्रदेश के प्राचीन शिल्प, स्थापत्य एवं कलाकृतियों को प्रत्येक जिले के चिह्नित कार्यालय अथवा महाविद्यालय में प्रतिकृतियों के माध्यम से प्रदर्शन करने हेतु **मुख्यमंत्री विरासत झरोखा योजना** प्रारंभ की जाएगी । इसके लिए **99 लाख** का प्रावधान है ।

136. रामलीला मंचन तथा मानस गायन दलों के संरक्षण-संवर्धन हेतु चंदखुरी जिला रायपुर में **कौशल्या महोत्सव** का आयोजन किया जाएगा । इसके लिए **10 करोड़** का प्रावधान है (मेजो की थपथपाहट) ।

137. **अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव** के आयोजन हेतु **12 करोड़** का प्रावधान है ।

138. जिला कबीरधाम में भोरमदेव मंदिर के समीप **आदिवासी संग्रहालय** का निर्माण किया जाएगा । इसके लिए **03 करोड़** का प्रावधान है ।

<u>उच्च शिक्षा</u>

139. स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों से कक्षा 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को अंग्रेजी माध्यम से ही उच्च शिक्षा निरन्तर रखने में सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से शिक्षा सत्र 2023-24 से प्रदेश के चयनित महाविद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षण प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है (मेजो की थपथपाहट)।

140. महासमुंद, कोरबा, बिलासपुर एवं रायगढ़ में अंग्रेजी माध्यम महाविद्यालय हेतु नवीन सेटअप एवं प्रति भवन 12 करोड़ की लागत से 4 महाविद्यालय के लिए भवन निर्माण हेतु प्रावधान है ।

141. रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, कांकेर, बस्तर एवं अंबिकापुर में पूर्व स्वीकृत महाविद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित करने हेतु कुल 10 जिलों में अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय का संचालन प्रारंभ किया जाएगा (मेजो की थपथपाहट)।

142. इंदिरा कला एवं संगीत महाविद्यालय खैरागढ़ में देश, विदेश से अध्ययनरत् अध्ययन हेतु आने वाले विद्यार्थियों की सुविधा हेतु नवा रायपुर अटल नगर में **ऑफ कैम्पस सेंटर** की स्थापना की जाएगी ।

143. 04 संभागीय मुख्यालयों पर संगीत महाविद्यालय एवं 6 कन्या महाविद्यालय सहित इस वर्ष 23 नवीन महाविद्यालयों की स्थापना की जाएगी ।

144. राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेघावी विद्यार्थियों को शोध कार्य में सहयोग प्रदान करने के लिए **राज्य रिसर्च फेलोशिप योजना** प्रारंभ की जाएगी ।

<u>आवास एवं पर्यावरण</u>

145. सिरपुर के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए क्षेत्र के समन्वित विकास हेतु **सिरपुर विकास प्राधिकरण** का गठन किया गया है, इस हेतु **05 करोड़** का प्रावधान किया गया है ।

146. व्यवसायिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रायपुर एयरपोर्ट के समीप **एरोसिटी** की स्थापना की जाएगी । इस हेतु **02 करोड़** का प्रावधान है ।

147. नवा रायपुर अटल नगर में वाणिज्यिक गतिविधियों के विकास के लिए **कॉमर्शियल हब** की स्थापना की जाएगी । इस हेतु **05 करोड़** का प्रावधान है ।

तकनीकी शिक्षा

148. बेरोजगारी भत्ता योजना अंतर्गत पात्र शिक्षित बेरोजगार आवेदकों को गुणवत्तायुक्त रोजगार मूलक प्रशिक्षण दिया जाएगा । इसके लिए **10 करोड़** का प्रावधान है ।

149. टाटा टेक्नालॉजीज़ पुणे के सहयोग से 36 शासकीय आई.टी.आई. संस्थाओं को टेक्नोलॉजी हब के रूप में विकसित किया जाएगा । इसके लिए **100 करोड़** का प्रावधान है (मेजो की थपथपाहट) ।

150. लोईंग महापल्ली जिला-रायगढ़ एवं लिटिया जिला-दुर्ग में **नवीन आई.टी.आई**. की स्थापना की जाएगी ।

समाज कल्याण

151. छत्तीसगढ़ राज्य **केश शिल्पी कल्याण बोर्ड** के संचालन हेतु नवीन सेटअप का प्रावधान है।

152. वरिष्ठ नागरिकों, उभयलिंगी व्यक्तियों, विधवा-परित्यक्ता महिलाओं एवं दिव्यांगजनों की समस्याओं के ऑनलाईन समाधान हेतु **सियान हेल्पलाईन सेंटर एवं टॉल फ्री नंबर** की स्थापना की जाएगी। इसके लिए **01 करोड़** का प्रावधान है।

153. उभयलिंगी व्यक्तियों के शिक्षण-प्रशिक्षण तथा रोजगार हेतु प्रतियोगी परिक्षाओं की तैयारी में सहायता के लिए **नवा पिल्हर योजना** प्रारंभ की जायेगी इसके लिए **25 लाख** का प्रावधान है।

ग्रामोद्योग

154. भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान चांपा के भवन निर्माण एवं प्रयोगशाला उपकरण क्रय हेतु **05 करोड़** का प्रावधान है।

लोक निर्माण

155. प्रदेश में अधोसंरचना विकास एवं पूंजीगत व्यय को प्रोत्साहित करने के लिए लोक निर्माण विभाग के बजट में कुल **07 हजार 651 करोड़** का प्रावधान है।

156. राज्य मार्गों के निर्माण हेतु 180 करोड, मुख्य जिला सड़कों के निर्माण हेतु 378 करोड़, ग्रामीण मार्गों के निर्माण हेतु 735 करोड़, वृहद एवं मध्यम पुलों के निर्माण हेतु, 629 करोड़ तथा रेलवे ओवरब्रिज निर्माण हेतु **50 करोड़** का प्रावधान है।

157. शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 1377 नवीन निर्माण कार्य प्रस्तावित है। इसमें 1081 सड़क कार्य हेतु 579 करोड, 272 बृहद एवं मध्यम पुल कार्य हेतु 149 करोड़ तथा 24 नवीन शासकीय

विश्रामगृह के निर्माण के लिए 09 करोड़ का प्रावधान है। 50 रेल्वे ओवरब्रिज निर्माण, सर्वेक्षण, भू-अर्जन एवं यूटिलिटी कार्य हेतु कुल **29 करोड़ 95 लाख** का प्रावधान है।

158. विभिन्न शासकीय भवनों, जैसे :- स्कूल-कॉलेज, स्वास्थ्य केन्द्र, आंगनबाड़ी, इत्यादि को पक्की सड़क से जोड़ने हेतु पहुंच मार्ग निर्माण की मांग को देखते हुए **मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना** में **150 करोड़** का प्रावधान है।

159. एशियन विकास बैंक की सहायता से **निर्माणाधीन सड़क विकास परियोजनाओं** के लिए **07 सौ 93 करोड़** का प्रावधान है। ए.डी.बी. फेस-4 परियोजना अंतर्गत 17 सड़कों के सर्वेक्षण एवं निर्माण कार्य के लिए नवीन मद के रूप में **43 करोड़** का प्रावधान है।

160. नाबार्ड की सहायता से ग्रामीण मार्गो के निर्माण हेतु **150 करोड़** का प्रावधान है।

161. **राम वन गमन पथ** के मार्ग को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने तथा मार्गों पर संकेतकों व प्रतीकों के विकास के लिए नवीन मद में **02 करोड़** का प्रावधान है।

162. राजधानी रायपुर के हृदय स्थल में प्रवाहित खारून नदी पर **रिवर फ्रंट** का विकास किया जाएगा। इसमें नदी के तटों पर पक्के निर्माण कार्य एवं सौंदर्यीकरण के कार्य किये जाएंगे। इस प्रकार पूरे तट क्षेत्र का व्यावसायिक उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। इस हेतु **10 करोड़** का प्रावधान है। (मेजों की थपथपाहट)

163. रायपुर के जी.ई. रोड पर शारदा चौक से तात्यापारा चौक तक सड़क चौड़ीकरण के लिए **10 करोड़** का प्रावधान है। (मेजों की थपथपाहट)

164. रायपुर में तेलीबांधा फ्लाई ओवर के निर्माण हेतु नवीन मद में प्रावधान है।

<u>वर्ष 2022-23 का पुनरीक्षित एवं 2023-24 का बजट अनुमान</u>

165. अध्यक्ष महोदय, अब मैं वर्ष 2022-23 का पुनरीक्षित एवं 2023-24 का बजट अनुमान सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

166. वर्ष 2022-23 में कुल प्राप्ति के बजट अनुमान 01 लाख 04 हजार करोड़ की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान **01 लाख 12 हजार 708 करोड़** है। इस प्रकार बजट अनुमान की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान में 08 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है।

167. पुनरीक्षित प्राप्तियों में वृद्धि को देखते हुए कुल व्यय का बजट अनुमान 01 लाख 04 हजार करोड़ से बढ़कर पुनरीक्षित अनुमान **01 लाख 12 हजार 708 करोड़** प्रस्तावित है।

168. वर्ष 2023-24 में 01 लाख 21 हजार 500 करोड़ की कुल प्राप्ति का बजट अनुमान है, जो गत वर्ष की तुलना में अनुमानित बजट प्राप्तियों से **17 प्रतिशत** अधिक है। (मेजों की थपथपाहट) कुल

प्राप्तियों में राज्य की राजस्व प्राप्तियां **56 हजार 200 करोड़,** केन्द्र से प्राप्तियां **49 हजार 800 करोड़** एवं पूंजीगत प्राप्तियां **15 हजार 500 करोड़** अनुमानित है।

169. वर्ष 2023-24 के लिए विनियोग का आकार 01 लाख 32 हजार 370 करोड़ का है। सकल व्यय से ऋणों की अदायगी एवं पुनर्प्राप्तियों को घटाने पर शुद्ध व्यय 01 लाख 21 हजार 500 करोड़ अनुमानित है। राजस्व व्यय 01 लाख 02 हजार 501 करोड़ एवं पूंजीगत व्यय 18 हजार 660 करोड़ है। वर्ष 2023-24 में पूंजीगत व्यय कुल व्यय का **16.36 प्रतिशत** है।

170. प्रदेश में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के विकास के लिए कुल बजट की **45 प्रतिशत** राशि का प्रावधान किया गया है।

171. वर्ष 2023-2024 के बजट में **सामाजिक क्षेत्र** के लिये **41 प्रतिशत, आर्थिक क्षेत्र** के लिये **36 प्रतिशत** एवं **सामान्य सेवा क्षेत्र** के लिये **23 प्रतिशत** का प्रावधान किया गया है।

<u>राजकोषीय स्थिति</u>

172. अध्यक्ष महोदय, यह कहते हुए मुझे संतोष है कि राज्य के स्वयं की राजस्व प्राप्तियों को बढ़ाने की दिशा में किए जा रहे हमारे प्रयास का परिणाम सकारात्मक रहा है। इस वर्ष राज्य के स्वयं के राजस्व में **26 प्रतिशत** की वृद्धि अनुमानित है। (मेजों की थपथपाहट)

173. हमारी पूर्ववर्ती सरकार द्वारा राज्य के विकास कार्यों हेतु वर्ष 2012-2013 से निरंतर बाजार ऋण लिया जा रहा था। विगत 03 वर्षों में कुशल वित्तीय प्रबंधन अपनाते हुए वर्ष 2022-2023 में हमारी सरकार ने अब तक बाजार ऋण नहीं लिया है। (मेजों की थपथपाहट)

174. वर्ष 2021-2022 के वित्त लेखे के अनुसार 04 हजार 642 करोड़ का राजस्व आधिक्य रहा है। चालू वर्ष में माह जनवरी 2023 के लेखा अनुसार भी 04 हजार 471 करोड़ के राजस्व आधिक्य की स्थिति बनी हुई है।

175. वर्ष 2021-2022 के वित्त लेखे के अनुसार वित्तीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 0.17 प्रतिशत रहा है। चालू वर्ष में माह जनवरी 2023 की स्थिति में राज्य सरकार का शुद्ध ऋण (-)788 करोड़ है।

176. राज्य का वास्तविक ऋण भार जनवरी 2023 की स्थिति में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में 17.90 प्रतिशत है। इसी अवधि में भारत सरकार का ऋण भार सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में 48 प्रतिशत है।

177. राज्य का सकल वित्तीय घाटा 15 हजार 200 करोड़ अनुमानित है, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का **2.99 प्रतिशत** है। इस प्रकार एफ.आर.बी.एम. एक्ट में निर्धारित 03 प्रतिशत की सीमा में है।

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिए नहीं

178. राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियां 01 लाख 06 हजार करोड़ एवं कुल राजस्व व्यय 01 लाख 02 हजार 500 करोड़ अनुमानित है। अत: वर्ष 2023-2024 में कुल **03 हजार 500 करोड़** का राजस्व आधिक्य (Revenue Surplus) अनुमानित है।

<u>कर प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2023-2024 के लिये कोई कर प्रस्ताव नहीं है। (मेजों की थपथपाहट)

इस प्रकार वर्ष 2023-2024 का वार्षिक वित्तीय विवरण तथा अनुदान की मांगे सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट)

श्री रामकुमार यादव :- छत्तीसगढ़ी महतारी की जय।

अध्यक्ष महोदय :- मैं सोमवार, दिनांक 13 मार्च 2023 की तिथि आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा के लिए नियत करता हूं। आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर प्रस्तुत किये जाने वाले कटौती प्रस्तावों की सूचना मंगलवार, दिनांक 07 मार्च 2023 को अपराह्न 12 बजे तक विधान सभा सचिवालय में दी जा सकती है। कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के प्रपत्र सूचना कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा बंद रहेगी तो कैसे देंगे?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 07 तारीख को विधान सभा बंद रहेगी।

अध्यक्ष महोदय :- खोल देंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- होली है। आप उसके लिए 13 तारीख तक समय दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- सत्र में विधान सभा की छुट्टी नहीं रहती है। आपको मिल जाएगा।

श्री अजय चंद्राकर :- ते जे कर ले।

<u>सदन को सूचना</u>

<u>(1) माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से भोजन की व्यवस्था</u>

अध्यक्ष महोदय :- आज माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से भोजन की व्यवस्था सभा की कार्यवाही समाप्त होने के पश्चात् माननीय सदस्यों, शासन के वरिष्ठ अधिकारियों एवं पत्रकार साथियों के

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

लिए विधान सभा परिसर स्थित सेंट्रल हॉल में की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से सभी सादर आमंत्रित हैं।

श्री भूपेश बघेल :- आप सभी भोजन के लिए सादर आमंत्रित हैं।

(2) विधायक क्लब एवं संस्कृति विभाग के सौजन्य से "होली मिलन समारोह" का आयोजन

अध्यक्ष महोदय :- आज अपरान्ह 03:00 बजे से छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय परिसर स्थित सेंट्रल हॉल के समक्ष लॉन में विधायक क्लब एवं संस्कृति विभाग के सौजन्य से "होली मिलन समारोह" आयोजित है, जिसमें माननीय सदस्यों के साथ श्री डेविड निराला एवं साथियों द्वारा 'फाग गीत' तथा श्री पटेल व साथियों द्वारा 'हास्य व्यंग्य' का कार्यक्रम प्रस्तुत किया जायेगा।

आप सभी माननीय सदस्य, पत्रकारगण एवं शासन के वरिष्ठ अधिकारी उक्त "होली मिलन समारोह" में सादर आमंत्रित हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप कटौती प्रस्ताव का तो बता दीजिए कि कब तक करना है? आप कटौती प्रस्ताव का तो बताइये कि कब तक पेश करना है? सब आ जाएंगे, यह तो ठीक है, कटौती प्रस्ताव जमा करने की तिथि 13 मार्च कर दीजिए, आज तो आधे लोग चले जाएंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- कल शाम तक दे दीजिए न ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- कल होली है, विधान सभा बंद रहेगी ।

अध्यक्ष महोदय :- उस हिसाब से 12 मार्च तक अवकाश है । और कुछ प्रस्ताव देंगे ? सदन की तिथि बढ़ाने का प्रस्ताव है क्या ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, सदन का समय बढ़ाएंगे तो हम स्वागत करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- 13 तारीख को विधान सभा लगने वाली है, उस तिथि के पहले आप कटौती प्रस्ताव देंगे, तभी तो छपने के लिए भेजना पड़ेगा न ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष जी, लेकिन बंद विधान सभा में आजतक कटौती प्रस्ताव जमा नहीं हुए हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- बंद नहीं है, आपके लिए विधान सभा खुली हुई है । भिजवा दीजिए । आप तो ऑन लाईन भी भेज सकते हैं ।

श्री धरम लाल कौशिक :- सामान्य बजट पर चर्चा होगी न ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- कल होली है, सभी लोग अपने घर जाएंगे । हम कहां जमा करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- परसों दे दीजिए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- 13 मार्च तक का समय दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय :- 13 मार्च तक कैसे होगा ? कटौती प्रस्ताव छपने जाएगी । छपेगा कैसे, यह आप बता दें ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- होली के समय में लोग कैसे जमा करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- विचार व्यक्त करना है तो बजट पर करिए, आप मुझे पर विचार क्यों व्यक्त कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही दिनांक 13 मार्च, 2023 को 11.00 बजे तक के लिए स्थगित।

(अपराह्न 1 बजकर 27 मिनट पर विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 13 मार्च, 2023 (फाल्गुन 22, शक सम्वत् 1944) के पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर (छ.ग.)
दिनांक 06 मार्च, 2023

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं